रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2010/ज्येष्ठ 24, 1932
No. 163] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2010/JYAISTHA 24, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2010

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय :—चीन जन.गण., जापान, कोरिया गण, मलेशिया, रूस, ताइवान तथा थाइलैंड के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" (पी वी सी पेस्ट रेजिन) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/36/2009-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. प्रक्रिया

2. 2. इस संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै. कैम-प्लास्ट सनमार्क लि. से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन.गण., जापान, कोरिया गण, मलेशिया, रूस, ताइवान तथा थाइलैंड (जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" (पी वी सी पेस्ट रेजिन) (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है ।

(ii) आवेदन के प्रारंभिक जांच से कतिपय खामियों का पता चला जिन्हें तत्पश्चात आवेदक द्वारा सुधारा गया था । अत: आवेदक को उचित ढंग से दस्तावेजयुक्त समझा गया था । प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत को उचित ठहराने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त

साक्ष्यों के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरूद्ध जांच शुरू करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले संबद्ध देशों के उच्चायोगों/दूतावासों को इस आवेदन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटन और घरेलू उद्योग को उससे हुई परिणामी क्षति का दावा किया गया है, की प्राप्ति के बारे में सूचित किया । प्राधिकारी ने दिनांक 3 नवंबर, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया तथा जिसके द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ।

iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 3 नवंबर, 2009 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के उच्चायोगों/दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया ।

iv. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के उच्चायोगों/दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई ।

v. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत स्थित संबद्ध देशों के उच्चायोगों/दूतावासों को जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें । निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों के नाम और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी ।

vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :

1. तियानजिन कैमिकल प्लांट जिंकाई साउथ रोड,	2. तियानजिन बोहाई कैमिकल इंडस्ट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन

हंगू डिस्ट्रिक, तियानजिन, चीन जन.गण.	छठी मंजिल, होंडा बिल्डिंग, हेबई रोड, हेपिन एरिया, तियानजिन, चीन जन.गण.
3. शेनयांग कैमिकल कंपनी लि. नं.46 वेइगोंग स्ट्रीट टैक्सी के उत्तर में, जिला - शेनयांग सिटी लियाओनिंग प्रोविन्स ,चीन जन.गण.	4. फार्मोसा प्लास्टिक कार्पो. 201, तुंग हवा नार्थ रोड, ताइपेई ताइवान
5. एलजी कैम. लि., एल जी ताइवान टावर्स, 20 येउइडो-डोइंग, येनगेडुआंगपोगू, सियोल 150-721, कोरिया गण	6. हनवाह कैमिकल्स 1, जांगयोडोंग जुंगगू, सियोल 100-797, कोरिया गण
7. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी,(कंपनी नं.:476322-के) सूइट 6.02, 6ठी मंजिल, मिलेनियम ऑफिस ब्लॉक,160, जलान दुकिट बिनटांग,55100 कुआला लमपुर, मलेशिया	8. विन्थाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड 14वीं मंजिल, ग्रीन टॉवर, 3656/41 रामा IV रोड, खेत क्लोंगटोये, बैंकॉक 10110, थाईलैंड
9. कनेका कार्पोरेशन 3-2-4, नकानोशिमा, किटा-कू, ओसाका 530-8238 जापान	10. ओओओ पोलीमर-कैमी मिनसाक्या स्ट्रीट. 1जी, 121059 मास्को रूस

vii. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निर्यातकों/उत्पादकों/एसोसिएशन सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने उत्तर दिए हैं:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	देश
1.	कोरिया गण. का दूतावास, नई दिल्ली	कोरिया गणराज्य
2.	व्यापारिक वार्ता विभाग, आर्थिक विकास मंत्रालय, रूसी परिसंघ	रूस
3.	विदेश व्यापार विभाग, थाईलैंड	थाइलैंड
4.	मै. एल जी कैम. लि.	कोरिया गणराज्य
5.	मै. हनवा कैमिकल कार्पो.	कोरिया गणराज्य
6.	मै. मित्सुई एंड कं. लि.	जापान
7.	मै. कनेका कार्पोरेशन	जापान
8.	मै. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी	मलेशिया
9.	मै. मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) प्रा. लि.	मलेशिया
10.	फार्मोसा प्लास्टिक कार्पो. ताइवान	ताइवान

11.	विन्थाई पब्लिक कं. लि. लि. बैंकॉक	थाईलैंड

viii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	क्र. सं.	कंपनी का नाम
1	अकाजो नोबल कोटिंग इंडिया प्रा. लि., कर्नाटक	37	बी.बी. ट्रेडिंग कं. लि.
2	अलेप्पी कं. लि., कर्नाटक	38	इन्कम केबल्स प्रा.लि., दिल्ली
3	अनाबॉन्ड एसेक्स इंडिया प्रा.लि., चेन्नई	39	कुंदन रिलायन्स मिल्स लि., दिल्ली
4	क्रिएटिव वर्ल्ड, मुंबई	40	लक्की पलास्ट इंडिया, दिल्ली
5	डी सी मिल्स (प्रा) लि., केरल	41	मैन्सफील्ड केबल कं., नोएडा
6	डी आर जी लेदन प्रा.लि. केरल	42	मार्वल विनायल लि., दिल्ली
7	एफटैक शर्राफ इंडिया लि., मुंबई	43	नोउवेलले क्रेडिट्स प्रा. लि., दिल्ली
8	फेनर कन्वेयर बेल्टिंग प्रा.लि. तमिलनाडु	44	ओरिएन्ट ओवरसीज प्रा. लि., नई दिल्ली
9	फेनोप्लास्ट लि., आंध्र प्रदेश	45	ओसवाल विनायल इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
10	हलोल लेदर क्लॉथ लि., मुंबई	46	पैरामाउंट कम्यूनिकेशन्स लि., दिल्ली
11	हेंकल टेरोसन इंडिया (प्रा.) लि., हरियाणा	47	पूनम प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स, दिल्ली
12.	हिन्दुस्तान सील्स लि., कोलकाता	48	आर.के. इंडस्ट्रीज, दिल्ली
13	इंटरनेशनल कन्वेयर लि., औरंगाबाद	49	आर.के. ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली
14	जस्च इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली	50	आर.एस. ओवरसीज प्रा.लि., दिल्ली
15	केराफाइबरटैक्स इंटरनेशनल प्रा.लि., कोचीन	51	रेलीसन इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि.
16	केरला बेरल्स लि. केरल	52	रेस्पोन्सिव इंडस्ट्रीज लि., महाराष्ट्र
17	मयूर यूनीकोटर्स लि., जयपुर	53	रिटजी इंटरनेशनल प्रा.लि., दिल्ली
18	ओसवाल केबल प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली	54	रोयल इंडस्ट्रीज, दिल्ली
19	फिरोज सेथना प्रा. लि., मुंबई	55	एस.के. ट्रेडर्स, दिल्ली
20	पोलमन इंडिया लि., मुंबई	56	एस एल एफ.(इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली
21	पोलीनोवा इंडस्ट्रीज लि., गोवा	57	एस.आर. पोलीचैम, दिल्ली
22	प्रीमियर पोलीफिल्म लि., नई दिल्ली	58	शील पोलीटैक्स, दिल्ली
23	रोटो स्क्रीनटैक लि., राजकोट	59	शील विनायल, दिल्ली
24	शिवम टैक्सटाइल, नई दिल्ली	60	शिव शक्ति इंडस्ट्रीज, दिल्ली

25	सियल टीजिट लि., कलकत्ता	61	सत्री कैमिकल्स प्रा.लि., दिल्ली
26	स्नेह विलायल प्रोडक्ट्स प्रा. लि., आंध्र प्रदेश	62	सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स, दिल्ली
27	एसआरएफ लि., तमिलनाडु	63	सुशी कैम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, दिल्ली
28	टेक्सन इंडस्ट्रीज प्रा.लि., चेन्नई	64	ट्रेरा इंडिया, दिल्ली
29	त्रेवनकोर कोकूटफ्ट प्रा.लि., केरल	65	त्रिशाला विनायल ट्यूब्स लि., देहरादून
30	यश मार्केटिंग एजेंसीज, अहमदाबाद	66	अल्टीमेट इंडस्ट्रीज लि., दिल्ली
31	वेली वेल्वेट (प्रा.) लि., अहमदाबाद	67	वीके पोलीकोट्स लि., दिल्ली
32	ओम विनायल प्रा.लि., मुंबई	68	विमा इंटरनेशनल प्रोडक्टस
33	गोमती एक्सपोटर्स मुंबई	69	अक्षत प्लास्टिक्स प्रा.लि., दिल्ली
34	आरएमजी पोलीविनायल इंडिया लि., नई दिल्ली	70	विपिन पोलीमर्स प्रा.लि., दिल्ली
35	वीके, विनायल, नई दिल्ली	71	अरीनिट्स सेल्स प्रा.लि., दिल्ली
36	यूनाइटेड डेकोरेटिव प्रा.लि., उ.प्र.	72	बंसल कैमिकल्स (इंडिया), चेन्नई

ix. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं, एसोसिएशन ने उत्तर दिया है:

क्र.सं.	एसोसिएशन का नाम
1.	लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसो. (एल सी पी एम ए), नई दिल्ली
2.	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (एआईएफपीआई), नई दिल्ली
3.	दि ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए), दिल्ली
4.	फेनोप्लास्ट लिमिटेड, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश
5.	मयूर यूनीकोटर्स लि., जयपुर, इंडिया
6.	मैथ्यूसन्स इंडस्ट्रीज इंडिया लि., कोचीन
7.	जैश्क प्लास्टिक इंडिया लि., नई दिल्ली

x. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा था;

xi. सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत ज्ञात की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

xii. यह जांच 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च 2009 (जांच अवधि) की अवधि में की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल 2005 से मार्च, 2006, अप्रैल 2006 से मार्च, 2007, अप्रैल 2007 से मार्च, 2008 और जांच अवधि शामिल थी ।

xiii. इस अधिसूचना में *** चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

3. विचाराधीन उत्पाद "पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" है जिसे "इमल्सन पी वी सी रेजिन" और पी वी सी पेस्ट रेजिन भी कहा जाता है (जिसे एतद्पश्चात "संबद्ध उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है। पी वी सी रेजिन दो प्रकार का होता है अर्थात पी वी सी पेस्ट रेजिन और पी वी सी सस्पेंशन रेजिन । पी वी सी सस्पेंशन रेजिन को प्रस्तावित जांच के दायरे और कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है । पी वी सी पेस्ट रेजिन का उत्पादन विनायल क्लोराइड मोनोमर (वी सी एम) से किया जाता है । वी सी एम का उत्पादन ई डी सी का प्रयोग करके किय जाता है जिसमें एक प्रमुख उत्पाद के तौर पर क्लोरीन की जरूरत होती है । संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री सफेद/गैर सफेद पाउडर के रूप में की जाती है । इस उत्पाद की विशेषताएं के मूल्य अंतर्निहित श्यानता, पार्टीकल आकार रिटेंशन, हीट लॉस, शुरूआती बी एफ़ बी आदि के अनुसार बताई जाती है । पी वी सी पेस्ट रेजिन के सभी ग्रेड इस जांच के दायरे और कार्यक्षेत्र के भीतर आते हैं ।

3.1 संबद्ध वस्तुएं इस अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत उपशीर्ष सं. 39042210 के अधीन आती हैं । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

व्यापारिक वार्ता विभाग, आर्थिक विकास मंत्रालय, रूसी परिसंघ द्वारा किए गए अनुरोध

3.2 विभाग में संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- रूस से संबद्ध वस्तु के पाटन के संबंध में जांच की शुरूआत करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है ।

- आवेदक के पास रूस के बाजार में घरेलू कीमतों के संबंध में कोई विश्सनीय सूचना नहीं है और इस प्रकार उन्होंने रूस के संबंध में सामान्य मूल्य का परिकलन गलत ढंग से किया है जिसके चलते पाटन मार्जिन काफी अधिक हो गया है ।
- आवेदक द्वारा यथाअनुमानित परिकलित सामान्य मूल्य के संबंध में विस्तृत गणनाओं को गोपनीय माना गया है । यद्यपि, उसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को कोई लाभ नहीं मिलता ।
- रूस में संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले दो कंपनियां अर्थात "जे एस सी चिम्प्राम", वोलोगोग्रेड और "उसोलाईचिम्प्रोम लि." है । केवल बाद वाली कंपनी ने भारत को संबद्ध वस्तु का प्रेषण किया है परंतु भारत पहली वरीयता वाला देश नहीं रहा था और यह कि कंपनी भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करके पाटन का कार्यकलाप नहीं कर रही थी ।
- यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की सामान्य लागत 965 अम.डॉ. प्रति मी.ट. थी और न कि 1480 अमरीकी डॉ. प्रति मी.ट. जैसा कि आवेदक द्वारा दावा किया गया है । तथापि, कंपनी ने अगस्त 2009 में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण बंद कर दिया है और कंपनी द्वारा इसके बाद की डिलीवरियां नहीं की गई हैं।
- जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों संबंधी बाधाओं तथा भारतीय बाजार में रूचि की कमी के कारण रूस के उत्पादकों ने इस जांच में भाग नहीं लिया है ।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

3.3 कनेका कार्पोरेशन ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- कनेका कार्पोरेशन ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद पी वी सी पेस्ट रेजिन तक सीमित है जो इमल्सन ग्रेड का है । कनेका कार्पोरेशन ने उत्पाद की निम्नलिखित श्रेणियों का निर्यात किया है:

(क) पेस्ट अनुप्रयोग के लिए पी वी सी रेजिन जा माइक्रो सस्पेंशन पोलीमराइजेशन से उद्भूत होमोपालीमर पी वी सी होता है, इस श्रेणी में PSM-31,PSH-24 और PSH-10 शामिल है ।

(ख) माइक्रो सस्पेंशन पोलीमर से उत्पादित विनायल क्लोराइड और विनाइल एसीटेट को पॉलीमर का उत्पादन माइक्रोसस्पेंशन पालीमराइजेशन से किया जाता है उदाहरणार्थ PCH-72 ।

(ग) ब्लेंडिंग रेजिन का सस्पेंशन पोलीमराइजेशन अर्थात PBM-B5F, PBM-6 और PS-300 से बनाया जाता है । ऐसे पी वी सी रेजिन काउपयोग पेट्रीसेपरेटर

अनुप्रयोग के लिए होता है या इसका उपयोग पेस्ट अनुप्रयोग के लिए पी वी सी रेजिन के साथ होता है ।

3.4 कनेका कार्पोरेशन ने उत्तर दिया है कि उपर्युक्त ग्रेडों में से केवल पहला विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर है । अन्य ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद इमल्शन ग्रेड पी वी सी पेस्ट रेजिन है और इसलिए अन्य प्रक्रियाओं जैसे माइक्रो सस्पेंशन या पोलीमराइजेशन से विनिर्मित पेस्ट रेजिन्स को जांच के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर रखा गया है; सीमाशुल्क वर्गीकरण भिन्न है; घरेलू उद्योग माइक्रोसस्पेंशन या सस्पेंशन पालीमराइजेशन के जरिए पी वी सी रेजिन का विनिर्माण नहीं करता है; और रासायनिक सूत्र भिन्न है ।

3.5 उपर्युक्त के आधार पर कनेका कार्पोरेशन ने यह तर्क दिया है कि यदि उत्पाद के आयातों को जांच में शामिल नहीं किया गया है या बाहर रखा गया है तो जापान से आयात न्यूनतम रहे हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 ख के अनुसार जांच को समाप्त कर दिया जाना अपेक्षित है ।

3.6 <u>विनीथाई पब्लिक कंपनी लि., थाईलैंड द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- उनका उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद नहीं है और उसमें इससे अलग विशेषताएं जैसे के-मूल्य, रियोलॉजी है ।

<u>हनवा कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा किए गए अनुरोध</u>

3.7 कंपनी द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

क. पी वी सी पेस्ट रेजिन पी वी सी सस्पेंशन रेजिन के समान वस्तु है और इसकी कीमत कम नहीं है तथा इसे कोरिया द्वारा पाटनरोधी शुल्क के मामले में पहले ही शामिल किया गया है ।

ख. कोरिया से पी वी सी पेस्ट रेजिन के आयात प्रथम दृष्टया न्यूनतम रहे हैं और संबद्ध देशों से हुए आयातों में प्रत्येक के लिए 3% से कम का हिस्सा 7% हिस्से से कम है और उसे 3% से अधिक के हिस्से वाले संबद्ध देशों के आयातों के साथ एकीकृत नहीं किया जाए । इस प्रकार कोरिया के संबंध में शुरू की गई पाटनरोधी जांच को तत्काल समाप्त कर दिया जाए ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच करने के बाद पी वी सी सस्पेंशन रेजिन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और उसे पी वी सी पेस्ट रेजिन तक विस्तृत नहीं किया गया था । इस प्रकार यह मुद्दा व्यवहार्य नहीं है ।

ख. रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह देखा जाता है कि कोरिया गणराज्य से हुए आयात निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक रहे हैं ।

3.8 अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- विचाराधीन उत्पाद एक पॉलीकैमिकल सामग्री है जिसे केवल एक बड़ा विनिर्माता ही उत्पादित कर सकता है । ऐसे संयंत्रों को लगाना काफी खर्चीला होता हैं ।
- भारत में उत्पादक अपने मार्जिनों को न केवल व्यापार के द्वारा लेवरेंज और प्रबंधित कर रहे हैं बल्कि वे टैरिफ विनियामक पर आधारित कीमत निर्धारण और कीमतों तथा मौसमी मांग का भी फायदा उठा रहे हैं ।
- देश में मांग और आपूर्ति के बीच काफी बड़ा अंतर है । पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अनुपयोगी होगा क्योंकि आयात इस उद्योग के विकास के लिए अनिवार्य हैं । भारत में पी वी सी रेजिन का व्यवसाय समग्र रूप से एकाधिकारपूर्ण है ।
- उद्योग पहले से ही सस्पेंशन रेजिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नुकसान उठा रहा है ।
- पी वी सी का उत्पादन अन्य पॉली फिल्म्स के उत्पादन से भिन्न है । क्लोरीन एक प्रमुख कच्ची सामग्री है जिसके उत्पादन के लिए अलग तरह की अवसंरचना की जरूरत होती है जैसे कास्टिक सोडा और क्लोरीन के बीच संतुलन बनाना, निविष्टि सामग्रियों और अंतिम प्रयोक्ताओं तक पहुंच प्रदान करना । क्लोरीन का परिवहन खतरनाक होता है ।
- संबद्ध देशों से पी वी सी पेस्ट रेजिन की आपूर्ति की सी आई एफ कीमत लगभग समतुल्य है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुक्रम में है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच:-

3.9 प्राधिकारी ने व्यापारिक वार्ता विभाग, आर्थिक विकास मंत्रालय रूसी परिसंघ द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है । यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2 के उप पैरा (iii) के अनुसार आवेदक को ऐसी सूचना उपलब्ध करानी होती है जो आवेदक के पास तर्कसंगत ढंग से उपब्ध हो तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन कीमतों जिन पर विचाराधीन उत्पाद को देश के घरेलू बाजार या उद्गम अथवा निर्यात के देशों में बेचा जाता है (या जहां उस कीमत के बारे में उचित सूचना प्राप्त हो जिस पर इस उत्पाद को देश में बेचा जाता है या

उद्गम के देशों या किसी तीसरे देश या देशों को निर्यात किया जाता है या उत्पाद का परिकलित मूल्य) और निर्यात कीमतों संबंधी सूचना या जहां उचित हो उन कीमतों संबंधी सूचना जिन पर इस उत्पाद को आयातक सदस्य के क्षेत्र में किसी स्वतंत्र क्रेता को पहली बार पुन: बेचा गया हो । आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक ने यह बताया था कि उनके द्वारा संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में पी वी सी पेस्ट रेजिन की बिक्री की वास्तविक सौदा कीमत के साक्ष्यों का पता लगाने और उस वास्तविक सौदा कीमत के साक्ष्यों का पता लगाने जिस पर संबद्ध देशों से अन्य देशों को इस सामग्री का निर्यात किया जा रहा है, का प्रयास किया गया था । तथापि, वे संबद्ध देशों के घरेलू बाजार या अन्य देशों को हुए निर्यात के लिए सौदा कीमतों के पर्याप्त और बिल्कुल सही साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे थे । तत्पश्चात उन्होंने प्रकाशित पत्रिकाओं में संबद्ध वस्तु की कीमतों का पता लगाने का प्रयास किया परंतु यह पाया कि न तो ये पत्रिकाएं संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की लागत या कीमत के बारे में सूचना प्रदान करती हैं और न ही वे लागत संरचनाओं, निविष्टियों के खपत संबंधी मानकों, कंपनियों की वार्षिक वित्तीय स्थितियों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध कराती हैं । आवेदक ने संबद्ध देशों में भारत के दूतावास को लिखित पत्रों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई हैं जिनमें उन्होंने संगत सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया परंतु उन्हें अपेक्षित सूचना/आंकड़े प्राप्त नहीं हुए । ऐसी परिस्थितियों में आवेदक ने परिकलित सामान्य मूल्य की नीति को अपनाया और चीन जन.गण. से इतर संबद्ध देशों में पी.वी सी पेस्ट रेजिन की उत्पादन लागत के अनुमान प्रस्तुत किए ।

3.10 प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से "संबद्ध वस्तु के पाटन" को विवादित ठहराने की सर्वोत्तम पद्धति रूसी कंपनियों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया जाना होती परंतु उन्होंने जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों संबंधी बाधा और भारतीय बाजार में रूचि की कमी के कारण इस जांच में भागीदारी नहीं करने के विकल्प को चुना । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने प्रारंभिक जांच परिणामों का निर्धारण करने के लिए बाध्य है तथापि, यदि इस मुद्दे के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया जाता है तो अंतिम जांच परिणामों को निर्धारित करते समय उस पर विधिवत ढंग से विचार किया जाएगा ।

3.11 प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध दिए गए तर्कों को भी नोट किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद का दायरा "पोलीविनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" है जिसे इमल्सन पी वी सी रेजिन के रूप में भी जाना जाता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सस्पेंशन रेजिन स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है परंतु इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि माइक्रोसंस्पेंशन प्रक्रिया के जरिए उत्पादित पी वी सी पेस्ट रेजिन एक भिन्न उत्पाद है और वह पी वी सी पेस्ट रेजिन नहीं है ।

3.12 आवेदक ने यह साक्ष्य भी उपलब्ध कराया है कि वे माइक्रोसस्पेंशन प्रक्रिया के जरिए पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन करते हैं । इस बात के होते हुए भी यदि यह माना

जाता है कि घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है और यह कि पी वी सी पेस्ट रेजिन का उत्पादन माइक्रोससपेंशन प्रक्रिया और इमल्शन प्रकिया के मध्यम से किया जा सकता है; फिर भी इस मान्यता का कोई आधार नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र केवल इमल्शन प्रक्रिया के जरिए उत्पादित पी वी सी पेस्ट रेजिन तक सीमित है । केवल इसलिए कि पी वी सी पेस्ट रेजिन का उत्पादन दो भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के जरिए किया जा सकता है, का यह अर्थ नहीं है कि परिणामी उत्पाद भिन्न-भिन्न हो जाता है । इस प्रकार यह नोट कियां जाता है कि घरेलू उद्योग भी माइक्रो ससपेंशन प्रक्रिया अपनाकर संबद्ध वस्तु का उत्पादन करता है । इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि अपनाई गई प्रक्रिया की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न उत्पादों का उत्पादन नहीं हो सकता है जब तक कि परिणामी उत्पाद, उत्पाद की मूल विशेषताओं की दृष्टि से भिन्न न हों । यह संभव है कि प्रत्येक उत्पादक के पास इस उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया हो; परंतु उत्पादन की प्रक्रिया की भिन्नता का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक परिणामी उत्पाद की विशेषताएं समान हों ।

3.13 घरेलू उद्योग ने उपभोक्तावार बिक्री संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनकी तुलना भारत मं संबद्ध वस्तु के आयातों के साथ की गई है । यह देखा गया है कि ऐसे कुछेक उपभोक्ता हैं जिन्होंने संबद्ध वसतुओं को संबद्ध देशों तथा घरेलू उद्योग दोनों से खरीदा है जो घरेलू उद्योग के इस दावे को बल प्रदान करता है कि वे उपभोक्ताओं को उनके द्वारा आयातित संबद्ध वस्तु के ग्रेडों की दृष्टि से तुलनीय ग्रेड बेचते हैं ।

3.14 उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कनेका कार्पोरेशन द्वारा निर्यातित पी वी सी पेस्ट रेजिन के ग्रेड/किस्में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर आते हैं । तथापि पी वी सी ससपेंशन रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे और कार्यक्षेत्र से बाहर हैं ।

3.15 कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि 39042110 के अंतर्गत वर्गीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (सस्पेंशन ग्रेड) विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं । कनिका कार्पो. ने यह तर्क दिया है कि सस्पेंशन पोलीमराइजेशन से निर्मित मिश्रण रेजिन भिन्न-भिन्न उत्पाद हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पी वी सी सस्पेंशन रेजिन के पाटन के संबंध में एक जांच पहले की थी जिसमें कार्यक्षेत्र को केवल पी वी सी सस्पेंशन रेजिन तक सीमित किया गया था और उसका विस्तार पी वी सी पेस्ट रेजिन तक नहीं किया गया था ।

3.16 प्रधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पी वी सी पेस्ट रेजिन का प्रयोग ऊपरी कोट और फोम कोट दोनों के लिए किया जा सकता है । घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई समान ग्रेड का उपभोक्ताओं द्वारा टॉप और फॉम कोट दोनों में प्रयोग किया जाता है । घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि वस्तुतः चमड़े के कपड़े की तीन परतें टॉप कोट, बेस कोट और फार्म कोट होती हैं

और ये सभी तीन कोट घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए जए पी वी सी पेस्ट रेजिन के समान ग्रेड का प्रयोग करके उपभोक्ताओं द्वारा तैयार किए जाते हैं ।

3.17 पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में समान वस्तु के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था है: -

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

3.18 प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, पी वी सी पेस्ट रेजिन के अनेक ग्रेड और उप-किस्में होती हैं परंतु इन सभी में समान भौतिक और रसायनिक विशेषताएं तथा अंतिम उपयोग होते हैं; यद्यपि के मूल्यों और अन्य मापदंडों की दृष्टि से विनिर्देशनों को इन ग्रेडों का उत्पादन करने के लिए विनिर्माताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ये भिन्न-भिन्न ग्रेड एक दूसरे के समान वस्तुएं नहीं हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं । मै. विनीथाई पब्लिक कं. लि. थाईलैंड ने भी इस मुद्दे को सही साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

3.19 रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से आयातित संबद्ध वस्तु से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं ।

3.20 इस प्रकार प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ यह निर्धारित करते हैा कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है ।

ग. <u>घरेलू उद्योग का कार्य क्षेत्र और स्थिति</u>

4. इस जांच की शुरूआत के समय पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) निम्नानुसार था:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब

ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में शेष उत्पादकों को ही घरेलू उद्योग माना जाएगा ।

4.1 तथापि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में हाल में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में शेष उत्पादकों को ही घरेलू उद्योग माना जाएगा ।

4.2 यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. द्वारा दायर किया गया है । संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक अर्थात मै. फिनोलैक्स इंडस्ट्री लि. है । मै. कैमप्लास्ट सनमार्क लि. भारत में संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है क्योंकि उसका कुल भारतीय उत्पादन में 78.97% हिस्सा बनता है । अत: मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर "स्थिति" संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और "घरेलू उद्योग" है ।

घ. **सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन**

हनवा कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा किए गए अनुरोध

5. इस कंपनी द्वारा संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- परिकलित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत गलत ढंग से निर्धारित की गई है और पाटन मार्जिन का निर्धारण भी इसी प्रकार किया गया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

5.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए ऐसी सूचना उपलब्ध कराना अपेक्षित है जो उसे तर्कसंगत ढंग से उपलब्ध हो और वर्तमान मामले में इस जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई गई थी ।

सामान्य मूल्य

5.2 प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी जिसमें उन्हें निर्धारित ढंग और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई थी । निम्नलिखित कंपनियों से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त हुआ था ।

क्र.सं	हितबद्ध पक्षकार का नाम	देश
1.	मै. एल जी कैम. लि.	कोरिया गण.
2.	मै. हनवा कैमिकल कार्पोरेशन	कोरिया गण.
3.	मै. मित्सुई एंड कंपनी लि.	जापान
4.	मै. कनेका कार्पोरेशन	जापान
5.	मै. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी	मलेशिया
6.	मै. मित्सुई एंड कं. (एशिया पैसिफिक) प्रा.लि.	मलेशिया
7.	मै. फार्मोसा प्लास्टिक	ताईवान

चीन जन.गण. से निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

5.3 पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि :

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी ।

5.4 प्राधिकारी ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यह संकेत दिया था कि आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और थाईलैंड को एक उचित प्रतिनिधि देश के रूप में बाजार अर्थव्यवस्था माना जा सकता है। प्राधिकारी ने अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मंगाई थीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने

अधिसूचना का जवाब नहीं दिया है । इस प्रकार चीन के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है । इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उचित तीसरे देश के चयन जैसा कि आवेदक ने सुझाव दिया है, के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड को बाजार अर्थव्यवस्था वाला उचित तीसरा देश माने जाने का सुझाव देते समय घरेलू उद्योग ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई उचित न्यायसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उन्होंने यह सिद्ध किया है कि थाईलैंड संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नाधीन उत्पाद के आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था वाला एक उचित तीसरा देश है । अतः प्राधिकारी थाईलैंड को इस स्तर पर बाजार अर्थव्यवस्था वाला एक उचित तीसरा देश मानने में असमर्थ हैं ।

5.5 अतः प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर चीन जन.गण के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण की आगे की कार्रवाई करते हैं और उन्होंने "किसी अन्य तर्कसंगत आधार" के अनुसार इसका निर्धारण किया है । तद्नुसार चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत, जिसे एस जी ए और लाभों को शामिल करने के लिए विधिवत ढंग से समायोजित किया गया है, के आधार पर किया है । इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य *** अम.डॉ./मी.टं. बनता है ।

जापान, कोरिया गण., मलेशिया, रूस, ताइवान तथा थाइलैंड के संबंध में सामान्य मूल्य -सहयोगी निर्यातक

5.6 निम्नलिखित कंपनियों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दिया गया है:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	देश
1.	मै एल जी कैम लि.	कोरिया गण
2.	मै. हनवा कैमिकल कार्पोरेशन	कोरिया गण
3.	मै. मित्सुई एंड कंपनी लि.	जापान
4.	मै. कनेका कार्पोरेशन	जापान
5.	मै. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एस डीएन बी एच डी	मलेशिया
6.	मै मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) प्रा.लि.	मलेशिया
7.	मै. फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन	ताइवान

5.7 चूंकि ऊपर उल्लिखित कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, इसलिए प्राधिकारी ने इन कंपनियों के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया है । सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति निम्नानुसार है:

सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिवादी निर्यातकों हेतु अपनाई जाने वाली सामान्य पद्धति

5.8 पहले यह देखा गया कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उनके घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियां उतनी प्रतिनिधि और व्यवहार्य हैं जिनसे उनकी घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण संभव हो और क्या प्रतिवादियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण पूरा होता है। अपने उत्तर में प्रतिवादियों ने उनके घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के सौदावार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं । इस प्रकार प्रदत्त सूचना पर आगे जांच और सत्यापन के अधीन व्यवहार्य सीमा तक संबद्ध वस्तु के प्रत्येक ग्रेड/किस्म के लिए अलग-अलग भारित औसत घरेलू बिक्री कीमत निर्धारित करने के लिए अनंतिम रूप से भरोसा किया गया है । व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण के निर्धारण के लिए संबंधित उत्पाद की उत्पादन लागत को आगे जांच और सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है । इसके अलावा सभी घरेलू बिक्री सौदों की जांच यह निर्धारित करने के लिए संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में की गई है कि क्या घरेलू बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थीं । यह भी देखा गया है कि क्या घाटे वाले सौदे बिक्री के 20% से अधिक थे अथवा नहीं । जहां कहीं भी लाभप्रद घरेलू बिक्री सौदों को कुल बिक्रियों के 80% से अधिक पाया गया था, वहां सभी घरेलू बिक्रियों की भारित औसत कीमत पर विचार किया गया है । तथापि, जहां भी लाभप्रदत बिक्री मात्रा को 80% से कम पाया गया था, वहां लाभप्रदत घरेलू बिक्रियों की भारित औसत कीमत पर विचार किया गया है; और जहां ऐसा निर्धारण व्यवहार्य नहीं था, वहां परिशिष्ट 8 ख से संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत तथा लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर लाभ के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया गया है ।

मै. हनवा कैमिकल कार्पोरेशन, कोरिया गण.

5.9 कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को पढ़ा गया है जिसे उत्पाद किस्मवार प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नावली के उत्तर से यह देखा गया है कि कंपनी ने किस्मवार लागत निर्धारण दिया है । एस जी ए व्ययों का दावा किया गया है और उन्हें कारोबार के आधार पर विभाजित किया गया है । यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्रियां पर्याप्तता संबंधी परीक्षण को पूरा करती हैं । उत्तर में परिशिष्ट 8 ख में यथा इंगित संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है (आगे जांच और सत्यापन के अधीन) । इस निर्धारण के आधार पर सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनता है ।

मै. फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन, चीनी ताइपेई

5.10 कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को पढ़ा गया है जिसे उत्पाद किस्मवार प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नावली के उत्तर से यह देखा गया है कि कंपनी ने किस्मवार लागत निर्धारण दिया

है । एस जी ए व्ययों का दावा किया गया है और उन्हें कारोबार के आधार पर विभाजित किया गया है । यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्रियां पर्याप्तता संबंधी परीक्षण को पूरा करती हैं । उत्तर के परिशिष्ट 8 ख में यथा इंगित संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है (आगे जांच और सत्यापन के अधीन) । इस निर्धारण के आधार पर सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनता है ।

मै. एल जी. कैम. लि., कोरिया गण.

5.11 कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को पढ़ा गया है जिसे उत्पाद किस्मवार प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नावली के उत्तर से यह देखा गया है कि कंपनी ने किस्मवार लागत निर्धारण दिया है । एस जी ए व्ययों का कारोबार के आधार पर दावा किया गया है । यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्रियां पर्याप्तता संबंधी परीक्षण को पूरा करती हैं । उत्तर के परिशिष्ट 8 ख में यथा इंगित संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है (आगे जांच और सत्यापर के अधीन) । इस निर्धारण के आधार पर सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनता है ।

मै. मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) प्रा.लि. के जरिए मै. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी

5.12 यह देखा गया था कि मै. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी ने भी मै. सोजित्ज कार्पो. के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है परंतु प्राधिकारी को संगत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और उत्तर को मै. मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) प्रा.लि. के जरिए मै. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी द्वारा संबद्ध वस्तु के निर्यातों तक सीमित रखा गया है । उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को पढ़ा गया है जिसे उत्पाद किस्मवार प्रस्तुत किया गया है । प्रश्नावली के उत्तर से यह देखा गया है कि मै. कनेका ने किस्मवार लागत निर्धारण प्रस्तुत किया है । एस जी ए व्ययों का दावा कारोबार के आधार पर किया गया है । यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्रियां पर्याप्तता संबंधी परीक्षण को पूरा करती हैं । उत्तर के परिशिष्ट 8 ख में यथा इंगित संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है (आगे जांच और सत्यापन के अधीन) । इस निर्धारण के आधार पर सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनता है ।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

5.13 प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस और थाईलैंड से किसी भी निर्यातक /उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । वर्तमान मामले में अपने अनुरोध प्रस्तुत करते समय जापान के प्रतिवादियों ने संगत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं । अत: प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर उनके सामान्य मूल्यों का परिकलन करने के लिए बाध्य हैं । इस प्रयोजनार्थ

सामान्य मूल्य का निर्धारण कच्ची सामग्री अर्थात अलग-अलग देश के लिए ई डी सी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, विनायल क्लोराइड मैगजीन (हरीमन कैमसल्ट द्वारा प्रकाशित) द्वारा प्रकाशित कीमतों और घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागतों पर विचार करते हुए किया गया है ।

इसके अलावा, कोरिया गणराज्य मलेशिया और ताइवान से संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उनके मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर किया गया है ।

निर्यात कीमत

प्रतिवादी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

5.14 प्रधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमतों का निर्धारण इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर किया जा सकता है । निर्यात कीमतों की अनुमति आगे जांच और सत्यापन के अधीन प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों के दावों के अनुसार दी गई है ।

मै. हनवा कैमिकल कार्पोरेशन

5.15 इस प्रतिवादी ने भारत को निर्यात से संबंधित परिशिष्ट 2 में सूचना प्रस्तुत की है । अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, प्रहस्तन, घरेलू दलाली, कमीशन, ऋण लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है और आगे जांच और सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से इन्हें स्वीकार किया जा रहा है ।

मै. एल जी कैम. लि.

5.16 इस प्रतिवादी ने भारत को निर्यात से संबंधित परिशिष्ट-2 में सूचना प्रस्तुत की है । माल वहन खर्च, ऋण खर्च, समुद्री बीमा, कस्टम एजेंट के शुल्क कमीशन, पैकिंग खर्च के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है और आगे जांच और सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से इन्हें स्वीकार किया गया है ।

मै. मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) प्रा.लि. के जरिए मै. कनेका पेसट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी

5.17 इस प्रतिवादी ने भारत को निर्यात से संबंधित परिशिष्ट-2 में सूचना प्रस्तुत की है । कमीशन, अंतरदेशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, विदेशी बीमा, ऋण लागत, के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है और आगे जांच और सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से इन्हें स्वीकार किया गया है ।

मै. फार्मोसा प्लास्टिक कार्पो.

5.18 इस प्रतिवादी ने भारत को निर्यात से संबंधित परिशिष्ट-2 में सूचना प्रस्तुत की है । पैकिंग खर्च, अंतरदेशीय भाड़ा, व्यापार संवर्धन शुल्क, बंदरगाह सेवा शुलक, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, निकासी प्रहस्तन और लदान, बैंक प्रभार और परक्राम्य

ब्याज के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है और आगे जांच और सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से इन्हें स्वीकार किया गया है ।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

5.19 चूंकि संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार "उपलब्ध तथ्यों" के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है । इन आंकड़ों का मिलान आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना और सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार किया गया है।

पाटन मार्जिन

5.20 ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

अम.डॉ. मी.ट. में

क्र.सं.	देश - उत्पादक/ निर्यातक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
	चीन जन.गण.				
1.	सभी उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	29.43%
	कारिया गण.				
2.	मै. हनवा कैमिकल कार्पोरेशन	***	***	***	21.95%
3.	मै. एल जी कैम लि.	***	***	***	-2.32%
4.	अन्य सभी उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	41.24%
	जापान				
5.	मित्सुई एंड कंपनी लि. द्वारा कनेका कार्पोरेशन, जापान	***	***	***	36.69%
6.	सभी उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	36.69%
	मलेशिया				
7.	मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पेसिफिक) प्रा.लि. द्वारा मै. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी	***	***	***	33.42%
8.	सभी उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	91.48%
	रूस				
9.	सभी उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	46.69%
	ताइवान				
10.	मै फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन	***	***	***	7.76%
11.	अन्य सभी उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	47.04%
	थाइलैंड				
12.	सभी उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	27.02%

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग के विचार

6. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

(क) विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों और वह देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है से पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) इन नए स्रोतों से भारी पाटन और यूरोप से निरंतर पाटन के कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी है ।

(ग) संबद्ध देशों और वह देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है से आयातों में समग्र रूप से और भारत में कुल आयात उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

(घ) घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मूल्य और मात्रा, लाभ, निवेशों पर आय, नकद प्रवाह और बाजार हिस्सा की दृष्टि से विकृति आई है ।

(ङ) भारी मांग की मौजूदगी के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग ईष्टतम से कम रहा है ।

(च) पाटित आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों में कमी आई है ।

(छ) कीमत कटौती अलग-अलग और समग्र रूप से सकारात्मक रही है ।

(ज) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है ।

(झ) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जरूरी है ।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

विदेश व्यापार विभाग ,थाइलैंड

6.1 विभाग ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- मात्रा की दृष्टि से पी वी सी पेस्ट रेजिन के आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई थी । घरेलू उद्योग अब भी घरेलू इकाई बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम था और परिसंपत्तियों तथा कार्यशील पूंजी में वृद्धि का लाभ उठा रहा था ।

- क्षति यदि कोई हो, वह केवल घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई है और न कि भारतीय उद्योग द्वारा और यह दर्शाया नहीं गया है कि यह क्षति संबद्ध देशों से पी वी सी पेस्ट रेजिन के पाटन के कारण हुई थी ।

- आयातों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण वर्ष 2006-07 में इस उत्पाद पर सीमाशुल्क में 10% से 5% की कमी का विलंबित प्रभाव रहा था ।

- यद्यपि थाइलैंड से पी वी सी पेस्ट रेजिन के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है परंतु आयातों के बाजार हिस्से में निरंतर गिरावट आई है ।

- घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, यूरोपीय संघ से पी वी सी पेस्ट रेजिन के आयातों में वृद्धि के कारण अथवा एक घटती हुई उत्पादक जनशक्ति के लिए मजदूरी बिल के बढ़ने के कारण हुई है ।

व्यापारिक वार्ता विभाग, आर्थिक विकास मंत्रालय, रूसी परिसंघ

6.2 विभाग ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों में रूस के आयातों का हिस्सा मामूली रहा है और यह 2.14% तथा 7.60% के बीच रहा है; जो अन्य देशों से आयातों में वृद्धि के मुकाबदले वर्ष 2008-09 तक घटकर 3.40% रह गया था ।

6.3 विनीथाई पब्लिक कंपनी लि., थाईलैंड

यह तर्क दिया गया है कि आयातों के कारण घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति नहीं हुई है अथवा क्षति का खतरा नहीं है क्योंकि भारत को उनके निर्यात नगण्य रहे थे जो कुल बाजार का 0.4% से कम है और कुल आयातों का 0.8% से कम है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

6.4 प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानून पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निम्नानुसार विश्लेषण किया है:

हनवा कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा किए गए अनुरोध

6.5 इस कंपनी द्वारा संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आयात कीमतों में कोई गिरावट नहीं हुई थी (आयात कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी)

ख. घरेलू बिक्री कीमत में कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के बावजूद भी पर्याप्ततः वृद्धि हुई है ।

ग. उत्पादन लागत में गैर-अनुपातिक रूप से ऐसे कारणों के चलते वृद्धि की गई है जो आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि अप्रत्याशित कारक हैं और प्रबंधन की विफलता हैं ।

घ. यहां तक कि आधार वर्ष 2005-06 के दौरान याचिकाकर्ता पूरी लागत उपभोक्ताओं से नहीं ले सका था । अप्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत उनकी लंबे समय से चली आ रही आंतरिक समस्या है और घाटा या कम लाभप्रदत्ता उसका परिणाम है । आयात के कारण उन्हें क्षति नहीं हुई है ।

ङ दावा की गई क्षति कृत्रिम है; अन्यथा कंपनी ने क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संयंत्र में 800 करोड़ रूपए के अतिरिक्त निवेश का उद्यम नहीं किया होता ।

च. प्रयोग के आधार पर बाजार का कोई विभाजन नहीं किया गया है । भिन-भिन्न संबद्ध देशों से आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की कोई तुलना नहीं की गई है, यद्यपि संचयी आकलन का दावा किया गया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

क. क्षति अवधि के दौरान कोरिया गण. से सबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत निम्नानुसार रही है:

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
49,531	54,099	50,843	53,598

यह देखा गया है कि कोरिया गण. से आयातों की पहुंच कीमत में 2005-06 की अवधि की तुलना में 2006-07 में वृद्धि हुई है, परंतु 2007-08 की अवधि में गिरावट आई है । 2008-09 में यद्यपि आयात कीमतों में वृद्धि हुई है परंतु यह वृद्धि 2006-07 के स्तरों से कम रही है । तथापि, पहुंच कीमतें क्षति रहित कीमत से काफी कम रही है ।

ख. यद्यपि, यह कहना सही है कि घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई है तथापि, घरेलू कीमतों और कच्ची सामग्री की कीमतों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है । यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की कीमतों में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों तथा यूरोपीय संघ से भारतीय बाजार में पाटित वस्तुओं की मौजूदगी के कारण घाटा होना जारी रहा है ।

ग. प्राधिकारी ने नोट किया है कि उत्पादन लागत में वृद्धि प्राथमिक रूप से कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई ।

घ. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग का यह दावा अधार युक्त लगता है कि वे उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को उपभोक्ताओं तक हस्तांतरित करने में सक्षम नहीं रहे हैं क्योंकि ई यू के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क संदर्भ कीमत आधार पर लगाया गया था और यह कि सदर्भ कीमत उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कभी भी प्रभावी नहीं रही थी जो बाद में निविष्टियों की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ गई थी । अत: ई यू के विरूद्ध शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटित कीमतों पर आना जारी रहा था ।

ङ यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग एकल उत्पाद कंपनी नहीं है और उसने उसके द्वारा विनिर्मित भिन्न उत्पादों की बाजार संभावना को ध्यान में रखते हुए निवेश किए हैं ।

च. यह देखा गया है कि संबंधित उत्पाद के उपभोक्ताओं का एक ही समूह घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद का प्रयोग कर रहा है । ये दोनों समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

संचयी आकलन

6.6 पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II पैरा (iii) में यह व्यवस्था है कि यदि एक से अधिक देश से हुए किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी के लिए उस स्थिति में ऐसे आयातों के संचयी प्रभाव का निर्धारण अपेक्षित होता है जब वह यह निर्धारित करे कि :-

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में वयक्त 2% से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3% (या अधिक) हो या जहां अलग-अलग देशों के निर्यात 3% से कम हों वहां ये आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयातों के 7% से अधिक हों ।

ख. आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित हो ।

6.7 प्राधिकारी यह अवलोकन करते हैं कि:-

- संबद्ध वस्तुओं का भारत में अनेक देशों से पाटन किया जा रहा है ।
- संबद्ध देशों में से प्रत्येक का पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है;
- प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक रही है;
- आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन किया जाना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से होने वाले निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली समान वस्तु के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:-

  क. संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद में परस्पर और आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पादों की तुलना में तुलनीय विशेषताएं हैं । दूसरे शब्दों में विभिन्न संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं परस्पर समान वस्तुएं हैं ।

ख ऐसे साझे पक्षकार हैं जो विभिन्न स्रोतों से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग कर रहे हैं । आयातित और घरेलू संबद्ध वस्तु दोनों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है तथा आयातित उत्पादों के बीच भी प्रतिस्पर्धा है ।

ग. संबद्ध देशों के निर्यातकों और घरेलू उद्योग ने समान अवधियों में इस उत्पाद की बिक्री उपभोक्ताओं के समान समूहों को की है क। बिक्री श्रृंखलाएं तुलनीय हैं ।

घ संबद्ध देशों में से प्रत्येक के आयातों की मात्रा काफी अधिक है ।

6.8 उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी आकलन किया जाना उचित होगा ।

7. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था है कि (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादो के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

7.1 जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव,

मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा ।"

मांग और बाजार हिस्सा

7.2 संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग के आकलन के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री मात्रा को भारत में कुल आयातों में जोड़ा गया है जिसका सारांश निम्नानुसार है :-

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
से आयात					
संबद्ध देश	मी.ट.	3,636	3,740	6,313	19,020
क्षेत्र जिस पर शुल्क लागू है-ई यू	मी.ट.	840	891	292	3,374
अन्य देश	मी.ट.	290	418	24	880
कुल आयात	मी.ट.	4,766	5,049	6,629	23,274
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	30,733	29,184	27,664	23,269
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	3,195	4,891	5,402	5,997
मांग	मी.ट.	38,694	39,124	39,695	52,540

7.3 प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग एक सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इसमें भारी वृद्धि हुई है । आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में लगभग 35.78 % की वृद्धि हुई है ।

आयात मात्राएं और बाजार हिस्सा

7.4 पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में यह व्यवस्था है कि "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत क दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है ....." । इस प्रकार पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है ।

7.5 डी जी सी आई एंड एस और आई बी आई एस के आंकड़ों में बताई गई आयातो की मात्रा में भारी अंतर को देखते हुए प्राधिकारी ने इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों में बताए गए एच एस कोड वार आयातों की तुलना की है । निम्नांकित तालिका इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आयातों के आंकड़ों में अंतर को दर्शाती है । यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयात अनेक वर्गीकरणों के अंतर्गत किए गए हैं । आई बी आई एस के आंकड़ों में यथासूचित विचाराधीन उत्पाद के आयात उस मात्रा से काफी अधिक

हैं जो डी जी सी आई एंड के आंकड़ों में बताई गई है और इसलिए आयातों की मात्रा का आकलन आई बी आई एस के आंकड़ों के आधार पर किया गया है ।

देश	एचएस कोड	डीजीसीआईएंडएस	आईबीआईएस	अंतर
चीन जन.गण.	39042110	-	811	(811)
	39042190	-	300	(300)
	39042210	229	333	(104)
	39042290	-	100	(100)
	योग	229	1,544	(1,315)
जापान	39041010	-	12	(12)
	39041090	-	536	(536)
	39042110	-	1,009	(1,009)
	39042190	-	15	(15)
	39042210	49	425	(377)
	39042290	-	545	(545)
	39044000	-	12	(12)
	योग	49	2,553	(2,505)
कोरिया गण.	39041090	-	598	(598)
	39042110	-	7,072	(7,072)
	39042190	-	178	(178)
	39042210	2,074	463	1,611
	39042290	-	28	(28)
	39049000	-	70	(70)
	योग	2,074	8,409	(6,335)
मलेशिया	39042210	474	-	474
	39013000	-	100	(100)
	39041010	-	575	(575)
	39042110	-	850	(850)
	योग	474	1,525	(1,051)
रूस	39042110	-	324	(324)
	39042210	432	396	36
	39042290	-	18	(18)
	योग	432	738	(306)
ताइवान	39042110	-	2,500	(2,500)
	39042210	379	471	(92)
	39049000	-	21	(21)
	योग	379	2,992	(2,613)
थाईलैंड	39041090	-	29	(29)
	39042110	-	628	(628)
	39042210	293	336	(43)
	39042290	-	98	(98)
	39049000	-	168	(168)
	योग	293	1,259	(966)

7.6 प्राधिकारी नोट करते हैं कि:-

क) संबद्ध देशों से हुए आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है । यह भी नोट किया जाता है कि आयातों में यह वृद्धि संबद्ध देशों से प्रत्येक के मामले में हुई है ।

आयातक	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
• चीन जन.गण	मी.ट.	1	-	72	1,544
• जापान	मी.ट.	1,057	939	662	2,553
• कोरिया गण.	मी.ट:	1,092	976	2,380	8,409
• मलेशिया	मी.ट.	144	-	60	1,525
• रूस	मी.ट.	162	108	504	738
• ताइवान	मी.ट.	620	1,228	2,021	2,992
• थाइलैंड	मी.ट.	560	490	614	1,259
संबद्ध देश	**मी.ट.**	**3,636**	**3,740**	**6,313**	**19,020**
क्षेत्र जिस पर शुल्क लागू है-ई यू	मी.ट.	840	891	292	3,374
अन्य देश	मी.ट.	291	418	24	880
कुल आयात	**मी.ट.**	**4,766**	**5,049**	**6,629**	**23,274**

ख) संबद्ध देशों से हुए आयातों में आधार वर्ष की तुलना में भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है ।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
भारत में मांग की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयात	%	9.40%	9.56%	15.90%	36.20%
चीन जन.गण	%	0.00%	0.00%	0.18%	2.94%

जापान	%	2.73%	2.40%	1.67%	4.86%
कोरिया गण.	%	2.82%	2.49%	6.00%	16.01%
मलेशिया	%	0.37%	-	0.15%	2.90%
रूस	%	0.42%	0.28%	1.27%	1.40%
ताइवान	%	1.60%	3.14%	5.09%	5.69%
थाइलैंड	%	1.45%	1.25%	1.55%	2.40%
भारतीय उत्पादन के संबंध में पाटित आयात	%	10.77%	10.82%	19.51%	64.61%

ग) जैसा कि निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है, यद्यपि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है परंतु घरेलू उद्योग के हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है ।

% के रूप में मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
संबद्ध देश	%	9.40%	9.56%	15.90%	36.20%
क्षेत्र जिस पर शुल्क लागू है-ई यू	%	2.17%	2.28%	0.73%	6.42%
अन्य देश	%	0.75%	1.07%	0.06%	1.67%
घरेलू उद्योग	%	79.43%	74.59%	69.69%	44.29%
अन्य घरेलू उत्पादक	%	8.26%	12.50%	13.61%	11.41%

7.7 उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है ।

ख संबद्ध देशों से हुए आयातों में जांच अवधि में कुल आयातों, भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है ।

ग. आयातों में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप जांच अवधि में घरेलू उद्योग के हिस्से में भारी गिरावट आई है ।

आयातों का कीमत प्रभाव

7.8 कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण सीमा तक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती । कीमत कटौती की मात्रा का आकलन करने की दृष्टि से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की है । सभी छूटों और करों को घटाने के बाद निवल बिक्री प्राप्ति ज्ञात की गई थी ।

	पहुंच मूल्य (रू./मी.ट.)	कीमत कटौती (रू./मी.ट.)	कीमत कटौती (%) - रेंज
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	60,132		
देश			
• चीन जन.गण.	60,654	***	(ऋणात्मक)
• जापान	60,624	***	(ऋणात्मक)
• कोरिया गण.	53,598	***	10-15%
• मलेशिया	55,393	***	5-10%
• रूस	52,935	***	10-15%
• ताइवान	58,657	***	0-5%
• थाईलैंड	60,019	***	0-5%
कुल संबद्ध देश	56,453	***	5-10%

7.9 प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से कीमत कटौती का निर्धारण भी पूर्ण रूप से संचयी तौर पर किया है जो निम्नानुसार है :-

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
औसत पहुंच आयात कीमत	रू./मी.ट.	54,579	51,951	49,563	56,453
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती राशि	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती % (रेंज)	रू./मी.ट.	ऋणात्मक	0-5%	10-15%	5-10%

7.10 उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत समग्र रूप से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम रही थी जिसके परिणामस्वरूप भारी कीमत कटौती हुई ।

ख . चीन जन.गण. और जापान से कीमत कटौती मामूली रूप से ऋणात्मक रही है परंतु आयातों की पहुंच कीमत क्षति रहित कीमत से काफी कम रही है । घरेलू उद्योग का कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ रही है ।

ग विभिन्न स्रोतों से आयातों की पहुंच कीमत वर्ष 2005-06 तक घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से अधिक रही थी । तथापि, यद्यपि, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत में तत्पश्चात वृद्धि हुई, परंतु आयातों की पहुंच कीमत में 2006-07 और 07-08 में गिरावट आई । जांच अवधि में यद्यपि, आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई, परंतु यह अब भी घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से काफी कम है ।

कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण

7.11 इस बात का आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध देश से हुए आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास/न्यूनीकरण कर रहे थे, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना क्षति अवधि के दौरान आयातों की औसत पहुंच कीमत के साथ की है जो निम्नानुसार है:-

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
उत्पादन की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	122	135
निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	108	116
लाभ/हानि	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(171)	(352)	(442)
संबद्ध आयातक देशों की औसत पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	54,579	51,951	49,563	56,453
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	95	91	103

7.12 प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, परंतु निवल बिक्री कीमत में हुई वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही थी । इस प्रकार, स्पष्ट रूप से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी न्यूनीकरण कर रहे हैं ।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

7.13 पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-ii में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी । ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जिनमें बिक्री लाभों, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल होगी; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।

7.14 घरेलू उद्योग से संबंधिता क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग

7.15 घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्रियां, क्षमता और क्षमता उपयोग निम्नानुसार रहा है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
मांग	मी.ट.	38,694	39,124	39,695	52,540
क्षमता	मी.ट.	34,080	34,080	34,080	34,080
उत्पादन	मी.ट.	30,789	29,117	27,584	23,249
क्षमता उपयोग	%	90.34%	85.44%	80.94%	68.22%
मांग का उत्पादन में %	%	79.57%	74.42%	69.49%	44.25%
घरेलू बिक्री	मी.ट.	30,733	29,184	27,664	23,269
मांग का बिक्री में %	%	79.42%	74.59%	69.69%	44.29%

7.16 यह देखा जाता है कि:

(क) घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान क्षमताओं के समान स्तर को बनाए रखा है।

(ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से निरंतर गिरावट आई है और यह गिरावट काफी अधिक रही है ।

(ग) घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में भारत में संबद्ध वस्तु की मांग/खपत की दृष्टि से गिरावट आई है ।

(घ) घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में भारत में इस उत्पाद की मांग में हुई वृद्धि की गति के अनुसार वृद्धि होनी चाहिए थी । तथापि, इस उत्पाद के पाटन के कारण इन मापदंडों में गिरावट आई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता की सीमा तक या मांग में हुई वृद्धि के अनुसार अपने उत्पादन में सुधार करने में सक्षम नहीं रहा है ।

(ङ) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की दृष्टि से भारी गिरावट आई है । घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा है ।

<u>लाभप्रदता</u>

7.17 घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और लाभ/हानि निम्नानुसार देखी गई हैं :-

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
उत्पादन की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***	***	***	***
लाभ/हानि	रू./मी.ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग पर पी बी टी	लाख रूपए	***	***	***	***
घरेलू बिक्री पर पी बी आई टी	लाख रूपए	***	***	***	***

7.18 यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में क्षति अवधि के दौरान विकृति आई है और घरेलू उद्योग भारी वित्तीय घाटे उठा रहा है। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत और बिक्री कीमतों की प्रवृति पर विचार करते हुए लाभप्रदता की जांच की है । यह नोट किया जाता है कि संपूर्ण क्षति

अवधि के दौरान उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, परंतु जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में हुई वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम रही है । परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच अवधि के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुई है ।

7.19 घरेलू उद्योग द्वारा उठाए जा रहे निरंतर घाटे को ध्यान में रखते हुए जिनमें वर्तमान जांच अवधि के दौरान और वृद्धि हुई है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उठाए जा रहे निरंतर वित्तीय घाटों के कारणों की विशेष रूप से तब जांच की है जब ई यू से आयातों पर पहले पाटनरोधी शुल्क लागू रहा था । यह नोट किया जाता है कि ई यू से आयातों के संबंध में लागू पूर्ववर्ती पाटनरोधी शुल्क बैंचमार्क कीमत के रूप में रहा था । यह भी नोट किया जाता है कि ई यू से आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत पाटनरोधी शुल्क बैंचमार्क की तुलना में काफी अधिक रही है । इस प्रकार आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए था ।

7.20 यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2005-06 के अपवाद को छोड़कर संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम रही है । भारी कीमत कटौती की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग ऐसी कीमत प्रभारित नहीं कर पाया है जिससे उसकी उत्पादन लागत की तर्कसंगत वसूली हो पाती । यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि लागतों में संपूर्ण जांच अवधि में वृद्धि हुई है और यद्यपि बिक्री कीमत में भी वृद्धि हुई है, परंतु बिक्री कीमतों में हुई वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही थी ।

7.21 प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के इस दावे में सच्चाई दिखाई देती है कि शुल्क लगाए जाने वाले क्षेत्र और संबद्ध देशों से इस उत्पाद के लगातार पाटन के कारण संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा वित्तीय घाटा उठाया जाना जारी है ।

बाजार हिस्सा

7.22 घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों और संबद्ध देशों तथा उस क्षेत्र जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, से आयातों की तुलना से यह प्रदर्शित होता है कि यद्यपि संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है परंतु संबद्ध देशों और उस क्षेत्र जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, के हिस्से में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है ।

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जीव अवधि)
घरेलू उद्योग	%	79.43%	74.59%	69.69%	44.29%
अन्य घरेलू उत्पादक	%	8.26%	12.50%	13.61%	11.41%

संबद्ध देश	%	9.40%	9.56%	15.90%	36.20%
क्षेत्र जिस पर शुल्क लागू है-आयात	%	2.17%	2.28%	0.73%	6.42%
अन्य देश-आयातक	%	0.75%	1.07%	0.06%	1.67%
क्षमता उपयोग	%	90.34%	85.44%	80.94%	68.22%

7.23 यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, तथापि संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में उत्पादन और बिक्री मात्राओं में आई गिरावट के परिणामस्वरूप गिरावट आई है ।

रोजगार मजदूरी और उत्पादकता

7.24 रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार रही है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***

7.25 प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन में गिरावट के साथ गिरावट आई है । उत्पादकता में गिरावट के परिणामस्वरूप अंततः घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है । तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और इसलिए घरेलू उद्योग का रोजगार और प्रदत्त मजदूरी वर्तमान मामले में क्षति का मूल्यांकन करने के लिए सही मापदंड नहीं हो सकता है ।

निवेश पर आय और नकद प्रवाह

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
आरओआई जीएफए आधार	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(203)	(340)	(363)
आरओआई एनएफए आधार	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(219)	(358)	(400)
नकद प्रवाह	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(50)	(601)	(421)

7.26 प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की निवेश पर आय और नकद प्रवाह की स्थिति में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारी विकृति आई है । संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान ये दोनों मापदंड ऋणात्मक रहे हैं

मालसूची

7.27 मालसूचियों से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार दर्शाते हैं:-

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***

7.28 यह देखा जाता है कि औसत मालसूची में कमी आई है परंतु घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि यह गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन घटाए जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप आई है ।

पाटन मार्जिन

7.29 यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक के संबंध में पाटन मार्जिन पर्याप्त रूप से सकारात्मक है ।

वृद्धि

7.30 प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्राओं में भारी वृद्धि देखी गई है; परंतु बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है । क्षति अवधि के दौरान नकद प्रवाह, लाभ और निवेश पर आय में वृद्धि भी नकारात्मक रही है ।

निधियां जुटाने की क्षमता

7.31 यह नोट किया जाता है कि देश में संबद्ध वस्तु की पर्याप्त मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग इस उत्पाद के संबंध में लगातार प्रतिकूल कार्य निष्पादन के कारण अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है । इसके अलावा, आवेदक को

संबद्ध देशों और उस क्षेत्र जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण भारी वित्तीय घाटे होना जारी है ।

वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

8. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में समग्र रूप से और भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है । संबद्ध देशों से समग्र रूप से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं । इसके अलावा, इन आयातों से भारी कीमत ह्रास भी हो रहा है । यद्यपि, उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, परंतु बिक्री कीमत में हुई वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही है । घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, उत्पादकता की दृष्टि से विकृति आई है जो काफी अधिक और वास्तविक है । इस प्रकार प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है ।

छ. कारणात्मक संबंध

9. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी अन्य ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित होता है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए । इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं । इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध इन अन्य मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है । यह पाया गया था कि :-

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत :- प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों से हुए आयात या तो उच्चतर कीमतों पर हुए हैं या उनकी मात्रा न्यूनतम रही है । इस प्रकार तीसरे देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है ।

ख. मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन :- यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 3578% की वृद्धि हुई है । खपत की प्रवृत्ति में भी किसी परिवर्तन का कोई संकेत नहीं मिलता है ।

ग व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा :- संबद्ध वस्तु के आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और ये देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं । घरेलू उत्पादक एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी के साथ संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं । घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत द्वारा पर्याप्ततः प्रभावित होती है । इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिसपर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है ।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास :- किसी भी पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में विकास के घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण होने के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है । प्रौद्योगिकी में किसी महत्वपूर्ण विकास के संबंध में कोई सूचना रिकॉर्ड में नहीं है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रमुख कारण हो सकती हो ।

ङ निर्यात निष्पादन :- संबद्ध वस्तु के कोई निर्यात नहीं हुए हैं । इस प्रकार प्राधिकारी ने घरेलू प्रचालनों के संबंध में केवल लाभप्रदता और कीमत संबंधी अन्य मापदंडों पर विचार किया है ।

च. उत्पादकता :- यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट प्रदर्शित हुई है जबकि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उत्पादकता में यह गिरावट पाटन के कारण उत्पादन में आई गिरावट के चलते हुई थी और इस क्षति को पृथक किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या यदि घरेलू उद्योग की उत्पादकता समान रहती तो घरेलू उद्योग से संबंधित सूचना में क्षति दर्शायी जाती । इस प्रयोजनार्थ उत्पादकता को आधार वर्ष के समान स्तर पर रखकर विचार करते हुए उत्पादन लागत को निम्नतर ढंग से समायोजित किा गया था और तत्पश्चात लाभप्रदता की पुनः गणना की गई थी । यह नोट किया गया था कि लाभप्रदता, नकद लाभों और निवेश पर आय में तब भी भारी गिरावट प्रदर्शित होगी । इस प्रकार यह पाया गया था कि उत्पादकता में गिरावट सें घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और निवेश पर आय पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है ।

9.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति प्रदर्शित नहीं होती है परंतु निम्नलिखित कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है ।

(क) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि हुई है । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा गंवा दिया है ।

(ख) घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर भारत में पाटित आयातित संबद्ध वस्तु की मौजूदगी के कारण अपनी बिक्री मात्राएं गंवा दी हैं । इस प्रकार संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप बिक्री मात्राओं में गिरावट आई है ।

(ग) संबद्ध देशों से समग्र रूप से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है ।

(घ) आयातों से घरेलू कीमतों में भारी ह्रास हुआ है । घरेलू उद्योग कम कीमत वाली आयातित वस्तुओं की मौजूदगी के कारण अपनी उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुक्रम में अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया है ।

(ड) लाभों तथा नियोजित पूंजी पर आय में विकृति स्पष्ट रूप से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप हुई है ।

(च) पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री मात्राओं और क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है ।

(छ) घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक मापदंडों के संबंध में ऋणात्मक हो गई है ।

9.2 इस प्रकार प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति उठानी पड़ी है ।

<u>क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन</u>

10. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है । क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्यों के साथ की गई हैं । क्षति मार्जिनों का निम्नानुसार परिकलन किया गया है:-

सहयोगी निर्यातक

		मै. फार्मोसा प्लास्टिक्स कार्पो.	मै. कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन बीएचडी द्वारा मै. मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) प्रा.लि.	मै. हनवा कैमिकल कार्पो.	मै. एल जी कैम. लि.
एन आई पी	रू./मी.ट.	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रू./मी.ट.	***	***	***	***
क्षति मार्जिन (%) रेंज	%	5-10%	20-25%	20-25%	15-20%

असहयोगी निर्यातक

		चीन जन.गण.	जापान	कोरिया	मलेशिया	रूस	ताईवान	थाइलैंड
एन आई पी	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन (%)	%	5-10%	5-10%	35-40%	40-45%	25-30%	25-30%	5-10%

ज. **निष्कर्ष:**

11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है, इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है ।

ख. घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के संबंध में वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है ।

ग. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

झ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यत: पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

12.1. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामत: इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी खासकर तब जबकि पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाएगा। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी ।

ञ. सिफारिशें

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत की गई थी और उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में प्रारंभिक जांच शुरू करने के बाद तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की अनंतिम रूप से पुष्टि करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि जांच पूरी होने तक पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए अनंतिम शुल्क लागू करना अपेक्षित है। अत: प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं जो नीचे वर्णित ढंग और तरीके से लगाया जाएगा ।

13.1 अत: प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तद्नुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में विनिर्दिष्ट राशि के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

क्र. सं	शीर्ष / उप शीर्ष	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	110.96	मी.ट.	अम.डॉ.
2	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	चीन जन.गण.	संबद्ध देश से इतर,अन्य कोई देश	कोई	कोई	110.96	मी.ट.	अम.डॉ.
3	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	110.96	मी.ट.	अम.डॉ.
4.	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	जापान	जापान	कनेका कार्पोरेशन, जापान	मित्सुई एंड कं., जापान	111.63	मी.ट.	अम.डॉ.
5.	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	जापान	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	क्र. सं. 4 से इतर अन्य कोई देश		111.63	मी.ट.	अम.डॉ.
6.	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	जापान	कोई	कोई	111.63	मी.ट.	अम.डॉ.
7.	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	मलेशिया	मलेशिया	कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन. बीएचडी	मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) प्रा. लि., मलेशिया	304.32	मी.ट.	अम.डॉ.
8.	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	मलेशिया	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	क्र. सं. 7 से इतर अन्य कोई देश		608.57	मी.ट.	अम.डॉ.
9.	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	मलेशिया	कोई	कोई	608.57	मी.ट.	अम.डॉ.
10	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोरिया गण.	कोरिया गण	हनहवा कैमिकल कार्पो.	हनहवा कैमिकल कार्पो.	89.18	मी.ट.	अम.डॉ.
11	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोरिया गण.	कोरिया गण.	मै. एलजी कैम. लि.	मै. एलजी कैम. लि.	शून्य	मी.ट.	अम.डॉ.
12	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोरिया गण.	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	क्र. सं. 10 तथा 11 से इतर अन्य कोई देश		266.52	मी.ट.	अम.डॉ.
13	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोरिया गण.	कोई	कोई	266.52	मी.ट.	अम.डॉ.
14	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	ताईवान	ताईवान	मै. फार्मोसा पलास्टिक कार्पो.	मै. फार्मोसा पलास्टिक कार्पो.	95.40	मी.ट.	अम.डॉ.
15	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	ताइवान	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	क्र. सं. 14 से इतर अन्य कोई देश		401.35	मी.ट.	अम.डॉ.
16	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	ताइवान	कोई	कोई	401.35	मी.ट.	अम.डॉ.

17	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	रूस	रूस	कोई	कोई	284.03	मी.ट.	अम.डॉ.
18	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	रूस	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	284.03	मी.ट.	अम.डॉ.
19	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	रूस	कोई	कोई	284.03	मी.ट.	अम.डॉ.
20	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	थाईलैंड	थाईलैंड	कोई	कोई	125.18	मी.ट.	अम.डॉ.
21	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	थाईलैंड	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	125.18	मी.ट.	अम.डॉ.
22	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देश से इतर-अन्य कोई देश	थाईलैंड	कोई	कोई	125.18	मी.ट.	अम.डॉ.

ट. आगे की प्रक्रिया

14. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

(क) प्राधिकारी समस्त हितबद्ध पक्षकारों से इन जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे जिन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, आवेदक और संबंधित समझे जाने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अलग से लिखा जा रहा है, जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रेषण की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच परिणाम के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकता है ।

(ग) प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के विचारों की मौखिक सुनवाई करने के लिए एक सुनवाई आयोजित करेंगे ।

(घ) प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे और सत्यापन किया जाएगा;

(ङ) प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा ।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2010

Preliminary Findings

Subject :—Anti-dumping Investigation concerning imports of 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' (PVC Paste Resin) originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand.

No. 14/36/2009-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the AD Rules):

A. PROCEDURE

2. The procedure described herein below has been followed:

i. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the above Rules, received a written application from the M/s. Chemplast Sanmar Limited on behalf of the domestic industry, alleging dumping of 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' (PVC Paste Resin) (hereinafter also referred to as the subject goods); originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries).

ii. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries. The Authority notified the High Commissions/Embassies of the subject countries in India about the receipt of the application claiming, *inter alia*, allegations of dumping and consequent injury to the domestic industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules. The Authority issued a public notice dated 3rd November, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, in accordance with the Rule 6(1) of the AD Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the

amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

iii. The Designated Authority sent a copy of initiation notification dated 3rd November, 2009 to the High Commissions/Embassies of the subject countries in India, known exporters from subject countries, known importers/ users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and to the High Commissions/ Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) supra.

v. The High Commissions/Embassies of the subject countries in India were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known exporters.

vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

1. Tianjin Chemical Plant Xinkai South Road, Hangu District, Tianjin,China PR	2. Tainjin Bohai Chemical Industries Import & Export Corporation 6th Floor, Honda Building, Hebei Road, Hepin Area, Tianjin. China PR
3. Shenyang Chemical Co. Ltd No.46 North of Weigong Street Tiexi District - Shenyang City Liaoning Province ,China PR	4. Formosa Plastics Corporation 201, Tung Hwa North Road, Taipei Taiwan
5. LG Chem Ltd., LG Twin Towers, 20 Yeouido-Doing, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, Korea RP	6. Hanwha Chemicals 1, Janggyodong Junggu, Seoul 100-797, Korea REP
7. Kaneka Paste Polymers SDN BHD,(Company No:476322-K) Suite 6.02, 6th Floor, Millennium Office Block,160, Jalan Bukit Bintang,55100 Kuala Lumpur, Malaysia	8. Vinythai Public Company Limited 14th Floor, Green Tower, 3656/41 Rama IV Road, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

9. Kaneka Corporation 3-2-4, Nakanoshima, Kita-Ku,Osaka 530-8288 Japan	10. OOO Polymer – Chemie Minsakaya St. 1G, 121059 Moscow Russia

vii. In response to the above notification, following interested parties including exporters/ producers/ Association have responded:

S.N.	Name of Interested Party	Country
1.	Embassy of Republic of Korea, New Delhi	Republic of Korea
2.	Department of Trade Negotiations, Ministry of Economic Development of the Russian Federation	Russia
3.	Department of Foreign Trade, Thailand	Thailand
4.	M/s LG Chem Ltd.,	Korea RP
5.	M/s Hanwha Chemical Corporation	Korea RP
6.	M/s Mitsui & Co. Ltd.	Japan
7.	M/s Kaneka Corporation	Japan
8.	M/s. Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd	Malaysia
9.	M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.	Malaysia
10.	Formosa Plastics Corporation, Taiwan	Taiwan
11.	Vinythai Public Co. Ltd. Bangkok	Thailand

viii. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

SN	Company's Name	SN	Company's Name
1	Akzo Nobel Coatings India Pvt. Limited, Karnataka	37	B.B. trading Co., Delhi
2	Alleppey Co Ltd., Kerala	38	Incom Cables Pvt. Ltd., Delhi
3	Anabond Essex India P Ltd, Chennai.	39	Kundan Rice Mills Ltd., Delhi
4	Creative World, Mumbai	40	Lucky Plast Ltd., Delhi.
5	D C Mills (P) Ltd, Kerala	41	Mansfield Cable Co., Noida
6	DRG Leather P Ltd, Kerala	42	Marvel Vinyls Limited, Delhi
7	Eftec Shroff India Limlted, Mumbai	43	Nouvelle Credits Pvt. Ltd., Delhi

8	Fenner Conveyor Belting Pvt Ltd, Tamil Nadu	44	Orient Overseas Private Limited, Delhi
9	Fenoplast Ltd, Andhra Pradesh	45	Oswal Vinyl Industries Ltd,, Delhi
10	Halol Leather Cloth Ltd, Mumbai	46	Paramount Communications Ltd., Delhi
11	Henkel Teroson India (P)Ltd., Haryana	47	Poonam Plastics Products, Delhi
12	Hindusthan Seals Ltd, Calcutta	48	R.K. Industries, Delhi
13	International Conveyore Ltd., Aurangabad	49	R.K. Trading Company, Delhi
14	Jasch Industries Ltd., New Delhi	50	R.S. Overseas Pvt. Ltd., Delhi
15	Kerafibertex International P Ltd., Cochin	51	Rallison Electricals Pvt. Ltd.
16	Kerala Balers Ltd, Kerala	52	Responsive Industries Ltd., Maharashtra
17	Mayur Uniquoters Ltd, Jaipur	53	Ritzy International Pvt. Ltd., Delhi
18	Oswal Cable Products, New Delhi	54	Royale Industries, Delhi
19	Phiroze Sethna P Ltd., Mumbai	55	S.K. Traders, Delhi
20	Polmann India Ltd., Mumbai	56	S.L.F.(India) Limited, Delhi
21	Polynova Industries Ltd., Goa	57	S.R. Polychem, Delhi
22	Premier Polyfilm Ltd., New Delhi	58	Sheel Polytex, Delhi
23	Roto Screentech Ltd., Rajkot	59	Sheel Vinyls, Delhi
24	Shivam Textiles, New Delhi	60	Shiv Shakti Industries, Delhi
25	Siel Tizit Ltd, Calcutta	61	Sunny Chemicals Pvt. Ltd., Delhi
26	Sneha Vinyl Products P Ltd., Andhra Pardesh	62	Supreme Electricals,Delhi
27	SRF Limited, Tamilnadu	63	Sushi Chem Plastic Industries, Delhi
28	Texon Industries P Ltd., Chennai	64	Terra India, Delhi
29	Travancore Cooctuft P Ltd., Kerala	65	Trishla Vinyl Tubes Ltd., Dehradun
30	Yash Marketing Agencies, Ahemdabad	66	Ultimate Industries Ltd., Delhi
31	Valley Velvette (P) Ltd., Ahemdabad	67	Veekay Polycoats Ltd.,Delhi
32	Om Vinlys Pvt. Ltd.,	68	Vima International Products

	Mumbai		
33	Gomti Exports, Mumbai	69	Akshat Plastics Pvt. Ltd., Delhi
34	RMG Polyvinyl India Limited, New Delhi	70	Vipin Polymers Pvt. Ltd., Delhi
35	Veekay Vinyl, New Delhi	71	Arinits Sales Pvt. Ltd., Delhi
36	United Decorative Private Ltd., U.P.	72	Bansal Chemicals(India), Chennai

ix. In response to the above notification, following importers/ users, Association have responded:

S.N.	Association's Name
1.	Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (LCPMA), New Delhi
2.	All India Federation of Plastic Industries (AIFPI), New Delhi
3.	The All India Plastic Manufacturers Association (AIPMA), Delhi
4.	Fenoplast Limited , Secunderabad, Andhra Pradesh
5.	Mayur Uniquoters Ltd. Jaipur, India
6.	Mathewsons Industries India Ltd. Cochin
7.	Jasch Plastics India Ltd, New Delhi

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

xi. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.

xii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2008 to 31st March, 2009 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the periods April 2005-March 2006, April 2006-March 2007, April 2007-March 2008 and the POI.

xiii. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND DOMESTIC LIKE ARTICLE

3. The product under consideration is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin" also called "Emulsion PVC Resin" and referred to as PVC paste resin (hereinafter referred to as "subject product" or "subject goods"). There are two types of PVC resin, namely PVC Paste Resin and PVC Suspension Resin. PVC suspension resin is excluded from the ambit and scope of the proposed investigation. The PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). VCM is produced using EDC, which in turn requires chlorine as one of the major products. The subject goods is produced and sold in the form of white/off-white powder. The properties of the product are described in terms of K value, inherent viscosity, particle size retention, heat loss, initial BFB etc. All grades of PVC Paste Resin are within the ambit and scope of the investigation.

3.1 The subject goods fall under Chapter 39 of the Act under subheading no. 39042210. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Submissions made by Department of Trade Negotiations, Ministry of Economic Development of the Russian Federation

3.2 The Department, in brief, has submitted the following:

- There is no sufficient evidence of dumping of subject goods from Russia for initiation of the investigation.
- The applicant has no reliable information with respect to domestic prices in the Russian market and thus constructed the normal value in respect of Russia incorrectly leading to a very high dumping margin.
- Detailed calculations regarding the constructed normal value as estimated by the applicant are treated as confidential though its disclosure would not have implied providing the competitors any advantage.
- There are two companies producing the subject goods in Russia namely "JSC Chimprom", Vologograd and "Usolyechimprom Ltd.". Only, the latter company dispatched the subject goods to India but India was not first priority outlet and that the company did not practice dumping while supplying the subject goods to the Indian market.
- It has been claimed that the normal cost to produce the subject goods was 965 US$ per MT and not 1480 US$ per MT as claimed by the applicant. However, the company stopped manufacturing the subject product in August 2009 and further deliveries will not be carried out by the company.
- Due to manpower and financial resources constraint and lack of interest in Indian market the Russian producers have not participated in this investigation.

Submissions made by other interested parties

3.3 Kaneka Corporation, in brief, has submitted as follows:

- Kaneka Corporation has contended that the product under consideration is limited to PVC Paste Resin which is of emulsion grade. Kaneka Corporation has exported the following categories of products:

  (a) PVC Resin for Paste application which is the homo-polymer PVC out of micro suspension polymerization. This category includes PSM-31,PSH-24 and PSH-10.
  (b) Vinyl Chloride and Vinyl Acetate Co-polymers produced out of micro suspension Copolymers produced out of micro suspension polymerization e.g. PCH-72.
  (c) Blending resin made out of suspension polymerization e.g. PBM-B5F, PBM-6 and PS-300. Such PVC resin are used for battery separator application or used with PVC resin for paste application.

3.4 It has been contended by Kaneka Corporation that only the first of the above grades is within the scope of the product under consideration. Other grades are beyond the scope of the product under consideration as the product under consideration is emulsion grade PVC paste resin and therefore paste resins manufactured out of other processes, such as micro suspension or suspension polymerization have been specifically excluded; the customs classification (39042210) is different; the domestic industry does not manufacture PVC resin through micro suspension or suspension polymerization; and the chemical formula are different;

3.5 On the basis of the above, Kaneka Corporation has argued that if imports of products not included in the investigation are excluded, imports from Japan are *de-minimis* and the investigation is required to be terminated in terms of Rule 14(b) of the AD Rules.

3.6 Submissions made by Vinythai Public Company Ltd., Thailand

- Their product is not the like product with the product under consideration and has distinctive characteristics such as K-value, Rheology.

Submissions made by Hanwha Chemical Corporation

3.7 The following submissions, in brief, have been made by the company:

a. PVC Paste Resin is like article to PVC-Suspension Resin and not lower priced which is already covered in case of Korea by AD Duties.
b. Imports of PVC-Paste Resin from Korea are *prima facie de-minimis* and imports from the Subject Countries with less than 3% share each is less than 7% share and may not be cumulated with imports from Subject Countries with more than 3% share each. Hence, the AD Investigations in respect of Korea may be terminated immediately.

Examination by the Authority

a. The Authority notes that after conducting an anti-dumping investigation, the Anti-dumping duty was imposed in respect of imports of PVC-Suspension Resin, and the same was not extended to PVC Paste Resin. Hence, the issue is not tenable.

b. On the basis of the facts available on record, it is seen that the imports from Korea RP are more than *de minimis* limits prescribed.

3.8 Other interested parties, in brief, have submitted as follows:

- Product under consideration is a Poly Chemical material which only a large manufacturer can produce. It is highly expensive to set up such Plants.
- The producers in India are leveraging and managing their margins not only by trading but also by exploiting pricing based on tariff regulator and fluctuation of prices and seasonal demand.
- There is huge demand-supply gap in the country. Imposition of anti-dumping duties would be counterproductive, as imports are must for the growth of the industry. PVC Resin business in India is absolutely a monopoly.
- Industry is already suffering because of anti-dumping duties on suspension resin.
- PVC production is different from production of other Poly films. Chlorine is the key raw material, production of which calls for different set of infrastructure, such as balancing between Caustic Soda and Chlorine, access to input materials and end users. Chlorine transportation is dangerous.
- The CIF price for supply of PVC Paste Resin from the subject countries are almost at parity and in line with the international prices.

Examination by the Authority:-

3.9 The Authority has noted the submissions made by the Department of Trade Negotiations; Ministry of Economic Development of the Russian Federation. It is noted that in terms of Article 5.2, sub-para (iii) of WTO's Anti-dumping Agreement, the applicant has to provide such information as is reasonably available to the applicant, *inter alia*, on prices at which the product in question is sold when destined for consumption in the domestic markets of the country or countries of origin or export (or, where appropriate, information on the prices at which the product is sold from the country or countries of origin or export to a third country or countries, or on the constructed value of the product) and information on export prices or, where appropriate, on the prices at which the product is first resold to an independent buyer in the territory of the importing Member. While submitting the application, the applicant had stated that efforts were made by them to get an evidence of actual transaction price of sale of the PVC paste resin in the domestic market of subject countries and also to get the evidence of the actual transaction prices at which the material is being exported from subject countries to other countries. However, they were not been able to get adequate and accurate evidence of the transaction prices either for the domestic

market of the subject countries or for exports to other countries. Then they tried to trace the prices of the subject goods in published journals but found that neither the journals provide information about the costs or prices of the subject goods in domestic market of subject countries, nor do they provide any information with regard to cost structures, consumption norms of inputs, annual financial situations of the companies. The Applicant has also submitted copies of letters written to Embassy of India in the subject countries seeking relevant information but did not receive the requisite information/data. In such circumstances, the applicant adopted constructed normal value approach and submitted the estimates of cost of production of PVC Paste Resin in subject countries other than China PR.

3.10 The Authority notes that the best method of disputing 'dumping of subject goods' from Russia would have been to respond to the Exporter' questionnaire response by the Russian companies but they have chosen not to participate in this investigation due to manpower and financial resources constraint and lack of interest in Indian market. In these circumstances, the Authority is constrained to determine its preliminary findings on the basis of 'facts available' on record. However, in case any evidence is made available on the issue, the same shall be duly considered while determining the final findings.

3.11 The Authority has also noted the arguments on product under consideration raised by the interested parties. The Authority notes that the scope of the product under consideration in the present petition is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', which is also known as Emulsion PVC Resin. The Authority notes that while product under consideration suspension resin is clearly beyond the scope of the product under consideration, there is no basis for the argument that PVC paste resin produced through micro suspension process is a different product and is not PVC paste resin.

3.12 The Applicant has also produced evidence that they produce PVC paste resin through micro-suspension process. Notwithstanding this, even if it is assumed that the production process employed by the domestic industry and foreign producers are different, and that PVC paste resin can be produced through micro-suspension process and emulsion process; there is no basis for the assumption that the scope of the product under consideration is restricted to PVC Paste Resin produced through Emulsion Process only. Just because PVC paste resin can be produced through two different processes, the same does not imply that resultant product becomes different. In any case, it is noted that the domestic industry also produces the subject goods by adopting the micro suspension process. Thus, it is noted that the difference in the process employed, cannot lead to different products, unless the resultant products themselves differ in terms of essential product properties. It is possible that each producer may have its own process to manufacture the product; but the difference in the production process would be immaterial as long as the resultant product properties are the same.

3.13 The domestic industry has submitted customer-wise sales data, which has been compared with the imports of the subject goods in India. It has been seen that there are quite a few customers who have procured the subject goods both from the subject countries and as well as the domestic industry, which gives credence to the claim of the domestic industry that they offer comparable grades to the customers *vis a vis* the grades of the subject goods imported by them.

3.14 In view of the above, the Authority provisionally concludes that grades/types of PVC Paste Resin exported by Kaneka Corporation is within the scope of the product under consideration. However, PVC suspension resin is beyond the ambit and scope of the product under consideration.

3.15 Some interested parties have contended that Poly Vinyl Chloride (suspension grade) classified under 39042110 is like article to the product under consideration. Kaneka Corporation has argued that blending resin made out of suspension polymerization are different products. The Authority notes that it had earlier conducted an investigation into dumping of PVC suspension resin, wherein the scope was restricted to PVC suspension resin only and the same were not extended to PVC paste resin.

3.16 The Authority also notes that PVC paste resin can be used both for top coat and foam coat. The domestic industry has contended that the same grade produced and supplied by them is used by the consumers for both top and foam coat. The domestic industry has further contended that in fact there are three layers of leather clothe, top coat, base coat and form coat and all the three coats are prepared by the consumers using the same grade of PVC paste resin supplied by the domestic industry.

3.17 With regard to like articles, Rule 2(d) of the AD Rules provides as under: -

> *"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

3.18 The Authority notes that though PVC paste resin has a number of grades and sub-types, all of them have similar physical and chemical characteristics and end-uses; even though specifications in terms of K values and other parameters are controlled by the manufacturers to produce these grades. No material evidence has been placed by any interested party to establish that these different grades are not like articles to each other and are not technically and commercially substitutable. M/s Vinythai Public Company Ltd., Thailand has also not submitted any evidence to substantiate its point.

3.19 After considering the information on record, the Authority holds that the product produced by the domestic industry is like article to the product under

consideration exported from the subject countries as the product produced by the domestic industry is comparable to the imported subject goods in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

3.20 Thus, the Authority determines, for the purpose of these preliminary findings, that the article produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration in accordance with the AD Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

4. At the time of the initiation of this investigation, Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:-

> *"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only";*

4.1 However, the Rule 2(b) of the AD Rules has recently been amended to read as:

> *"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"*

4.2 The Application has been filed by M/s Chemplast Sanmar Ltd. on behalf of the domestic industry. There is one more producer of the subject goods namely M/s. Finolex Industries Ltd. M/s Chemplast Sanmar Ltd. is a major producer of the subject goods in India as it accounts for 78.97% of total Indian production. Therefore, M/s Chemplast Sanmar Ltd satisfies the requirement of 'standing' and constitutes 'domestic industry' within the meaning of the AD Rules.

D. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Submissions made by Hanwha Chemical Corporation

5. The following submissions, in brief, have been made by the company:

- Constructed Normal Value and NIP have been wrongly determined and so is the determination of dumping margin.

Examination by the Authority

5.1 The Authority notes that the domestic industry is required to provide information that is reasonably available to it and sufficient information was made available to justify initiation of the investigation in the instant matter.

NORMAL VALUE

5.2 The Authority sent questionnaire to the known exporters from subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Response to the questionnaires were received from the following companies –

S.No.	Name of Interested Party	Country
1.	M/s LG Chem Ltd.	Korea RP
2.	M/s Hanwha Chemical Corporation	Korea RP
3.	M/s Mitsui & Co. Ltd.	Japan
4.	M/s Kaneka Corporation	Japan
5.	M/s. Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd	Malaysia
6.	M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.	Malaysia
7.	M/s. Formosa Plastics	Taiwan

Determination of Normal value in respect of Exporters / Producers from China PR

5.3 Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where

appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

5.4 The Authority indicated, in the initiation notification that the applicant has claimed that China is a non-market economy and Thailand could be considered as a market economy as an appropriate surrogate country. The Authority invited comments from the interested parties in accordance with para 7 of Annexure I. The Authority notes that none of the producer/exporter from China PR has responded to the notification. Thus, none of the Chinese producers have claimed market economy treatment. Further, none of the interested parties have offered any comment on the choice of appropriate third country as suggested by the Applicant. The Authority notes that while suggesting consideration of Thailand as appropriate market economy third country, the domestic industry has not provided appropriate justification in support of its claim, nor has it established that Thailand is an appropriate market economy third country on the basis of the level of development of the country concerned and the product in question. The Authority is therefore unable to treat Thailand as an appropriate market economy third country at this stage.

5.5 Therefore, the Authority has proceeded with the determination of Normal value in case of China PR on the basis of para-7 of Annexure-I to the AD Rules and has determined it on the basis of "any other reasonable basis". Accordingly, the normal value has been determined in respect of China PR on the basis of the cost of production in India, duly adjusted, to include SGA and profits. The normal value so determined comes to *** US$/MT.

Normal value in respect of Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand – responding exporters

5.6 Response to questionnaire were filed by the following companies:

S.No.	Name of Interested Party	Country
1.	M/s LG Chem Ltd.	Korea RP
2.	M/s *Hanwha Chemical Corporation*	Korea RP
3.	M/s Mitsui & Co. Ltd.	Japan
4.	M/s Kaneka Corporation	Japan
5.	M/s. Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd	Malaysia
6.	M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.	Malaysia
7.	M/s Formosa Plastics Corporation	Taiwan

5.7 As the above-mentioned companies have submitted their questionnaire responses, the Authority has determined individual dumping margin in respect of these companies. The methodology adopted for determination of Normal values is as follows:

General methodology followed for the responding exporters for determination of Normal Values

5.8 It was first seen, whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters/producers in their home markets were representative and viable for permitting determination of Normal values on the basis of their domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents. In their responses, the respondents have provided transaction-wise details of sales made in their home markets. The information so provided has been provisionally relied upon to determine separate weighted average domestic selling price for each grade/type of the subject goods to the extent feasible, subject to further investigation and verification. For the determination of the ordinary course of trade test, the costs of production of the product concerned have been provisionally accepted, subject to further investigation and verification. Further, all domestic sales transactions were examined with reference to the costs of production of the subject goods to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade. It was also seen whether the loss-making transactions account for over 20% of the sales or not. Wherever the profitable domestic sales transactions were found to be accounting for more than 80% of total sales, the weighted average price of all the domestic sales have been taken into consideration. However, wherever the profitable sales volume was found to be less than 80%, the weighted average price of the profitable domestic sales has been taken into consideration; and wherever such determination was not feasible, the cost to make and sell the subject goods from Appendix 8B and profit on the profitable domestic sales has been considered for determination of the Normal value.

M/s Hanwha Chemical Corporation, Korea RP

5.9 The response filed by the company was perused, which has been filed product type-wise. It is seen from the questionnaire's response that the company have given type-wise costing. The SGA expenses have been claimed and apportioned on the basis of turnover. It is noted that the domestic sales meet the sufficiency test. The cost of production of the subject goods as indicated in Appendix 8B of the response has been provisionally accepted, (subject to further investigation and verification), for the purposes of carrying out the ordinary course of trade test. Based on such a determination, the Normal value works out to *** US$ per MT.

M/s. Formosa Plastics Corporation, Chinese Taipei

5.10 The response filed by the company was perused, which has been filed product type-wise. It is seen from the questionnaire's response that the company have given type-wise costing. The SGA expenses have been claimed and apportioned on the basis of turnover. It is noted that the domestic sales meet the sufficiency test. The cost of production of the subject goods as indicated in Appendix 8B of the response has been provisionally accepted, (subject to further investigation and verification), for the purposes of carrying out the ordinary course of trade test. Based on such a determination, the Normal value works out to *** US$ per MT.

M/s LG Chem Ltd., Korea RP

5.11 The response filed by the company was perused, which has been filed product type-wise. It is seen from the questionnaire's response that the company have given type-wise costing. The SGA expenses have been claimed on the basis of turnover. It is noted that the domestic sales meet the sufficiency test. The cost of production of the subject goods as indicated in Appendix 8B of the response has been provisionally accepted, (subject to further investigation and verification), for the purposes of carrying out the ordinary course of trade test. Based on such a determination, the Normal value works out to ***US$ per MT.

M/s. Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd through M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. Malaysia

5.12 It was seen that M/s. Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd has also exported the subject goods through M/s Sojitz Corporation, but the relevant data has not been submitted to the Authority and the response is restricted to exports of the subject goods by M/s. Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd through M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. The responses filed by the producer and exporter were perused, which has been filed product type-wise. It is seen from the questionnaire's response that M/s. Kaneka has given type-wise costing. The SGA expenses have been claimed on the basis of turnover. It is noted that the domestic sales meet the sufficiency test. The cost of production of the subject goods as indicated in Appendix 8B of the response has been provisionally accepted, (subject to further investigation and verification), for the purposes of carrying out the ordinary course of trade test. Based on such a determination, the Normal value works out to *** US$ per MT.

Determination of Normal value in respect of Non-Co-operative Exporters / Producers

5.13 The Authority notes that none of the exporters/producers from Russia and Thailand have responded to the exporter' questionnaire. While making their submissions in the instant matter, the respondents from Japan have not filed the relevant data. Therefore, the Authority is constrained to construct their Normal values on the basis of 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. For this purpose, the Normal value has been determined considering international

prices of raw material i.e. EDC for the respective country as per prices published by Vinyl Chloride Magazine (published by Harimann Chemsult) and conversion costs of the domestic industry.

Besides, no other response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from Korea RP, Malaysia and Taiwan. Therefore, the normal value in their cases has been determined on the basis of 'facts available'.

EXPORT PRICE

Export price for the responding exporters

5.14 The Authority examined whether the export prices in respect of responding exporters could be determined on the basis of questionnaire responses filed by these interested parties. The export prices have been allowed as claimed by the responding exporters/producers, subject to further investigation and verification.

M/s Hanwha Chemical Corporation

5.15 The respondent has furnished information in Appendix 2 relating to exports to India. The adjustments on account of inland freight, ocean freight, marine insurance, handling, domestic brokerage, commission, credit expenses have been claimed and are provisionally being accepted subject to further investigation and verification.

M/s LG Chem Ltd.

5.16 The respondent has furnished information in Appendix 2 relating to exports to India. The adjustments on account of logistic expenses, credit expenses, ocean insurance, customs agent fee, commission, packing expenses have been claimed and are provisionally being accepted subject to further investigation and verification.

M/s. Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd through M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.

5.17 The respondent has furnished information in Appendix 2 relating to exports to India. The adjustments on account of commission, inland transportation, overseas transportation, overseas insurance and credit cost have been claimed and are provisionally being accepted subject to further investigation and verification.

M/s. Formosa Plastics Corporation

5.18 The respondent has furnished information in Appendix 2 relating to exports to India. The adjustments on account of packing expenses, inland freight, trade promotion fee, harbour service fee, ocean freight, marine insurance, commission, clearance-handling and loading, bank charges and negotiation interest have been

claimed and are provisionally being accepted subject to further investigation and verification.

Determination of Export Price in respect of Non-Co-operative Exporters/Producers

5.19 Since no other response has been received from any other producer/exporter of the subject goods; the Authority has determined the Export price as per 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The data has been collated as per the information provided by the applicant and the information provided by the co-operative exporters.

DUMPING MARGIN

5.20 Considering the Normal values and Export prices as determined above, the dumping margins have been determined as follows:

In US$MT

S. No.	Country - Producer/ Exporter	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin %
	China PR				
1.	All producers and exporters	***	***	***	29.43%
	Korea RP				
2.	M/s Hanwha Chemical Corporation	***	***	***	9.52%
3.	M/s LG Chem Ltd.	***	***	***	2.32%
4.	All other producers and exporters	***	***	***	35.31%
	Japan				
5.	Kaneka Corporation, Japan through Mitsui & Co., Ltd	***	***	***	36.69%
6.	All producers and exporters	***	***	***	36.69%
	Malaysia				
7.	M/s Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd through Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd	***	***	***	33.42%
8.	All producers and exporters	***	***	***	88.80%
	Russia	***	***	***	
9.	All producers and exporters	***	***	***	46.69%

	Taiwan				
10.	M/s Formosa Plastics Corporation	***	***	***	7.76%
11.	All other producers and exporters.	***	***	***	47.04%
	Thailand				
12.	All producers and exporters	***	***	***	27.02%

F. INJURY AND CAUSAL LINK

Views of the Domestic Industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to injury and Causal link, in brief, are as follows:

(a) Product under consideration is being exported from the subject countries and country attracting ADD at dumped prices;
(b) Domestic industry has suffered injury inspite of exiting anti-dumping duties due to significant dumping from these new sources and continued dumping from Europe;
(c) Imports from subject countries and country attracting ADD have increased in absolute terms and in relation to total imports, production and consumption in India.
(d) Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales values & volume, profits, return on investments, cash flow, and market share.
(e) Capacity utilization of the domestic industry remained sub-optimal in spite of existence of significant demand.
(f) Dumped imports are at prices significantly lower than the cost of production of domestic industry that has resulted in suppression the domestic prices of the subject goods.
(g) Price undercutting individually and collectively positive.
(h) The domestic industry has suffered material injury.
(i) Anti-dumping duty is required to be imposed, considering the dumping margin and injury margin.

Submissions made by other interested parties

Department of Foreign Trade, Thailand

6.1 The Department, in brief, has submitted the following:

- The increase in imports of PVC Paste Resin in volume terms did not cause material injury to the domestic industry. The domestic industry was still able to

increase the domestic unit selling price as well as enjoying increase in assets and working capital.

- Injury, if any, was suffered by the domestic industry only and not by the Indian industry and it has not been demonstrated that same was the result of dumped PVC Paste Resin from the subject countries.
- A significant reason of increase in imports is due to a delayed effect of the decrease in custom duty on the product in 2006-07 from 10% to 5%.
- Even though the volumes of imports of PVC Paste Resin from Thailand have increased, the market share of imports has consistently declined.
- Injury, if any, to the domestic industry has been contributed by an increase in the imports of PVC Paste Resin from EC or the increasing wage bill for a decreasingly productive work force.

Department of Trade Negotiations, Ministry of Economic Development of the Russian Federation

6.2 The Department, in brief, has submitted the following:

The share of Russian imports in the total imports of subject goods in India has been insignificant and ranges between 2.14% and 7.60%; which reduced to 3.40% by 2008-09 as against increase in the imports from other countries.

6.3 Vinythai Public Company Ltd., Thailand

It has been contended that the imports have not caused or are threatening serious injury to the domestic producers as their exports to India were negligible representing less than 0.4% of the total market and less than 0.8% of total imports.

Examination by the Authority

6.4 The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on injury to the domestic industry and has analyzed injury to the domestic industry considering the facts available on record and the applicable law as follows:

Submissions made by Hanwha Chemical Corporation

6.5 The following submissions, in brief have been made by the company:

a. There was no decline in import prices (import prices increased substantially).
b. Domestic Selling price has increased substantially and even after decline in Crude prices.
c. Cost of production has been increased disproportionately by reasons not attributable to imports, but for unforeseen factors and management failure.
d. Even during the base year 2005-06, the petitioner could not pass whole cost on to the customers. In-competitive cost of production is their long standing

intrinsic problem and loss or low profitability is the consequence. Import is not a cause of injury to them.

e. The injury claimed is artificial; otherwise the company would not have ventured with another Rs.800 crores additional plant for increasing capacity.

f. No market segmentation by use has been done and no comparison of conditions of competition between imports from different Subject Countries has been done though cumulative assessment is claimed.

Examination by the Authority

a. The Landed price of imports of the subject goods from Korea RP during the injury period is as follows:

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
49,531	54,099	50,843	53,598

It is seen that the landed price of the imports from Korea RP increased in 2006-07 period as compared to 2005-06 period, but declined in 2007-08 period. In 2008-09, though the import prices increased, but the increase has been lower than 2006-07 levels. However, the landed prices have been significantly below the non-injurious price.

b. While it is correct to say that the domestic prices have increased, however, there is no direct linkage between the domestic prices and the crude prices. It is seen that inspite of the increase in prices of the subject goods, the domestic industry has been making losses because of presence of the dumped goods in the Indian market from the subject countries and as well as from the European Union.

c. The Authority has noted that the cost of production has primarily increased because of increase in raw-materials prices.

d. The Authority finds merit in the claim of the domestic industry that they were not able to pass on the increased cost of production to the customers because the anti-dumping duty against EU was applied on reference price basis and that the reference price had never been effective due to increase in the cost of production, which in turn had increased due to increase in the input prices. Therefore, in spite of imposition of duty against EU, the subject goods continued to land in India at dumped prices.

e. It is seen that the domestic industry is not a single product company and has made investments keeping in view the market potential of different products it manufactures.

f. It is seen that there are same set of customers for the product concerned using the domestic product and imported product. Both are in competition for the same market.

Cumulative assessment

6.6 Annexure II para (iii) of the AD Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively accounts for more than seven percent of the import of like article and

b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

6.7 The Authority observes that:-

- The subject goods are being dumped into India from a number of countries.
- The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de-minimis* limits prescribed;
- The volume of imports from each of the subject countries is more than the *de-minimis* limits prescribed;
- Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market, which is evident from the following:-

  a. The products manufactured by the producers from the subject countries *inter-se* and in comparison to the products manufactured by the Applicant have comparable properties. In other words, goods supplied by various subject countries and by the domestic industry are *inter-se* like articles.
  b. There are common parties who are resorting to use of the imported subject goods from various sources and the goods produced by the domestic industry. Both, the imported and the domestic subject goods, are being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported products and *inter-se* amongst imported products.
  c. The exporters from the subject countries and domestic industry have sold the product in the same periods to the same set of customers. The sales channels are comparable.
  d. The volume of imports from each of the subject countries is significant.

6.8 In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.

7. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree:

7.1 As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

> *"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

Demand and market share

7.2 For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producer have been added to the total imports into India, which has been summarized as under.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Imports from					
Subject countries	MT	3,636	3,740	6,313	19,020
Territory Attracting Duty – EU	MT	840	891	292	3,374
Other countries	MT	290	418	24	880
Total Imports	MT	4,766	5,049	6,629	23,274
Sale of domestic industry	MT	30,733	29,184	27,664	23,269
Sales of other domestic	MT	3,195	4,891	5,402	5,997

producers					
Demand	MT	38,694	39,124	39,695	52,540

7.3 The Authority notes that the demand has shown a positive trend and increased significantly in the period of investigation as compared to the base year. The growth in demand during period of investigation over base year was about 35.78 %.

Import volumes and market share

7.4 Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that "while examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India ..." Thus, with regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

7.5 In view of significant difference in the volume of imports reported in the DGCI&S and IBIS data, the Authority compared the HS code-wise imports reported in the data from the two sources. The table below demonstrates the difference in the imports data from the two sources. It is noted that imports of the subject goods have been made under a number of classifications. The imports of the product under consideration as reported in the IBIS data is significantly more than what has been reported in the DGCI&S data and therefore the volume of imports has been assessed on the basis of the IBIS data.

COUNTRY	HS CODE	DGCI&S	IBIS	DIFFERENCE
CHINA PR	39042110	-	811	(811)
	39042190	-	300	(300)
	39042210	229	333	(104)
	39042290	-	100	(100)
	TOTAL	229	1,544	(1,315)
JAPAN	39041010	-	12	(12)
	39041090	-	536	(536)
	39042110	-	1,009	(1,009)
	39042190	-	15	(15)
	39042210	49	425	(377)
	39042290	-	545	(545)
	39044000	-	12	(12)
	TOTAL	49	2,553	(2,505)
KOREA RP	39041090	-	598	(598)
	39042110	-	7,072	(7,072)
	39042190	-	178	(178)
	39042210	2,074	463	1,611
	39042290	-	28	(28)

	39049000	-	70	(70)
	TOTAL	2,074	8,409	(6,335)
MALAYSIA	39042210	474	-	474
	39013000	-	100	(100)
	39041010	-	575	(575)
	39042110	-	850	(850)
	TOTAL	474	1,525	(1,051)
RUSSIA	39042110	-	324	(324)
	39042210	432	396	36
	39042290	-	18	(18)
	TOTAL	432	738	(306)
TAIWAN	39042110	-	2,500	(2,500)
	39042210	379	471	(92)
	39049000	-	21	(21)
	TOTAL	379	2,992	(2,613)
THAILAND	39041090	-	29	(29)
	39042110	-	628	(628)
	39042210	293	336	(43)
	39042290	-	98	(98)
	39049000	-	168	(168)
	TOTAL	293	1,259	(966)

7.6 The Authority notes that:-

a) The imports from the subject countries have increased significantly in absolute terms in the period of investigation as compared to the base year. It is also noted that the increase in the imports is in respect of each of the subject countries.

Imports	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
• China PR	MT	1	-	72	1,544
• Japan	MT	1,057	939	662	2,553
• Korea RP	MT	1,092	976	2,380	8,409
• Malaysia	MT	144	-	60	1,525
• Russia	MT	162	108	504	738
• Taiwan	MT	620	1,228	2,021	2,992
• Thailand	MT	560	490	614	1,259

Subject countries	**Mt**	**3,636**	**3,740**	**6,313**	**19,020**
Territory attracting duty-EU	MT	840	891	292	3,374
Other Countries	MT	291	418	24	880
Total import	**Mt**	**4,766**	**5,049**	**6,629**	**23,274**

b) The imports from the subject countries have increased in relation to the production and consumption in India as compared to the base year.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Subject countries imports in relation to demand in India	%	9.40%	9.56%	15.90%	36.20%
China PR	%	0.00%	0.00%	0.18%	2.94%
Japan	%	2.73%	2.40%	1.67%	4.86%
Korea RP	%	2.82%	2.49%	6.00%	16.01%
Malaysia	%	0.37%	-	0.15%	2.90%
Russia	%	0.42%	0.28%	1.27%	1.40%
Taiwan	%	1.60%	3.14%	5.09%	5.69%
Thailand	%	1.45%	1.25%	1.55%	2.40%
Dumped imports in relation to Indian production	%	10.77%	10.82%	19.51%	64.61%

c) As reflected in the following table, while the market share of the subject countries have increased, but that of the domestic industry has declined as compared to the base year.

Market Share in demand as %	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Subject countries	%	9.40%	9.56%	15.90%	36.20%
Territory Attracting anti dumping duty-EU	%	2.17%	2.28%	0.73%	6.42%
Other countries	%	0.75%	1.07%	0.06%	1.67%
Domestic industry	%	79.43%	74.59%	69.69%	44.29%
Other domestic Producer	%	8.26%	12.50%	13.61%	11.41%

7.7 From the above, the Authority notes that:

a. The market share of dumped imports from subject countries has increased significantly over the injury period.
b. The imports from the subject countries have increased significantly in POI in relation to the total imports, production and consumption in India.
c. The share of the domestic industry has declined significantly in POI.

Price effect of imports

7.8 With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like articles in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree. In order to assess the extent of price undercutting, the Authority has compared the net sales realization of the domestic industry with the landed value of the imports. The net sales realization was arrived, after deducting all rebates and taxes.

	Landed Value (Rs./MT)	Price Undercutting (Rs./MT)	Price Undercutting (%) – range
Net Selling price of the domestic industry	60,132		
Country			
• China PR	60,654	***	(Negative)
• Japan	60,624	***	(Negative)
• Korea RP	53,598	***	10-15%
• Malaysia	55,393	***	5-10%
• Russia	52,935	***	10-15%

• Taiwan	58,657	***	0-5%
• Thailand	60,019	***	0-5%
Total subject countries	56,453	***	5-10%

7.9 The Authority has also determined price undercutting cumulatively from the subject countries as a whole, which is as follows:-

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Average landed import price	Rs./MT	54,579	51,951	49,563	56,453
Net Selling price of the domestic industry	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting amount	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting % (range)	Rs./MT	Negative	0-5%	10-15%	5-10%

7.10 From the above, the Authority notes that:

a. Landed prices of the imports from the subject countries as a whole were significantly below the net sales realization of the domestic industry, which is suggestive of significant price undercutting.

b. The price undercutting from China PR and Japan is marginally negative. But the landed price of imports is substantially lower than the non-injurious price. The domestic industry is suffering price underselling.

c. Landed price of the imports from various sources were higher than the net selling price of the domestic industry till 2005-06. However, whereas the net selling price of the domestic industry increased thereafter, the landed price of the imports declined in 2006-07 and 2007-08. In the POI, even though the landed price of imports increased, the same was still substantially lower than net selling price of the domestic industry.

Price Suppression/ Price Depression

7.11 In order to assess whether the imports from the subject countries were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry, the Authority has compared the cost of production and the net selling price of the domestic industry along with the average landed price of the imports over the injury period, which is given in the following table:-

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Cost of Production	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	122	135
Net Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	108	116
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	(100)	(171)	(352)	(442)
Average Landed price of subject countries imports	Rs./MT	54,579	51,951	49,563	56,453
Trend	Indexed	100	95	91	103

7.12 The Authority notes that whereas both the cost of production and the net selling price increased over the injury period, but the increase in the net selling prices were much lower than the increase in the cost of production. Thus, apparently the imports are significantly suppressing the prices of the domestic industry.

Economic parameters of the domestic industry

7.13 Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like article. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

7.14 The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:-

Production, sales, capacity and capacity utilization

7.15 The production, domestic sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry has been as follows:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Demand	MT	38,694	39,124	39,695	52,540
Capacity	MT	34,080	34,080	34,080	34,080
Production	MT	30,789	29,117	27,584	23,249
Capacity utilization	%	90.34%	85.44%	80.94%	68.22%
Production in % of demand	%	79.57%	74.42%	69.49%	44.25%
Domestic sales	MT	30,733	29,184	27,664	23,269

Sales in % of demand	%	79.42%	74.59%	69.69%	44.29%

7.16 It is observed that:

a) The domestic industry has maintained the same level of capacities throughout the injury period.

b) The production, capacity utilization and sales of the domestic industry have consistently declined in absolute term over the injury period and the decline is significant.

c) The production, capacity utilization and sales of the domestic industry have declined despite increase in demand/consumption of the subject goods in India. The domestic industry has contended that production and sales of the domestic industry should have increased with the pace of increase in demand of the product in India. However, the dumping of the product has led to decline in these parameters.

d) The domestic industry has not been able to improve its production to the extent of its capacity or the increase in demand.

Profitability

7.17 The cost of production, net sales realization & profit/loss of the domestic industry are seen as follows:-:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Cost of Production	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***
PBT on Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
PBIT on Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***

7.18 It is noted that performance of the domestic industry for the subject goods has deteriorated over the injury period and the domestic industry is in significant financial losses. The Authority examined profitability by considering the trends in the cost of production and selling prices over the injury period. It is noted that both the cost of production and the selling prices increased throughout the injury period; but the increase in the selling price during the POI was significantly lower than the increase in the cost of production. Consequently, the profitability of the domestic industry suffered severely during the POI.

7.19 In view of the continued losses being suffered by the domestic industry, the extent of which increased over the current injury period; the Authority examined the reasons for continued financial losses by the domestic industry, particularly when anti-dumping duties were earlier imposed on imports from EU. It is noted that the anti-dumping duties were earlier imposed concerning imports from EU in the

form of benchmark price. It is further noted that the landed price of the subject goods, after the imposition of anti-dumping duties concerning imports from EU, have been significantly higher than the ADD benchmark. Thus, the imports would not have attracted the anti-dumping duties.

7.20 *It is noted that the landed price of subject imports throughout the injury period,* barring the exception of 2005-06, remained substantially lower than the selling price of the domestic industry. Existence of significant price undercutting prevented the domestic industry from charging a price which would have permitted reasonable recovery of the cost of production. It is further noted that while the costs increased throughout the injury period and even though the selling prices also increased; the increase in selling prices was significantly lower than increase in the cost of production.

7.21 The Authority finds merit in the domestic industry's claim that continued dumping of the product from territory attracting duty and subject countries has apparently led to financial losses suffered by the domestic industry throughout the injury period.

Market Share

7.22 Comparison of the sales of the domestic producers and the imports from the subject countries and the territory attracting ADD shows that although the demand for the subject goods has shown positive trend, the market share of domestic industry has declined significantly over the injury period, with the increase in the share of the subject countries and the territory attracting ADD.

Market Share in Demand	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Domestic industry	%	79.43%	74.59%	69.69%	44.29%
Other domestic Producers	%	8.26%	12.50%	13.61%	11.41%
Subject Countries	%	9.40%	9.56%	15.90%	36.20%
Territory attracting Duty-Imports	%	2.17%	2.28%	0.73%	6.42%
Other Countries-Imports	%	0.75%	1.07%	0.06%	1.67%
Capacity utilization	%	90.34%	85.44%	80.94%	68.22%

7.23 It is noted that whereas the market share of the domestic industry has declined, but that of subject imports has increased. Further, the capacity utilisation of the domestic industry has declined as a result of the decline in production and sales volumes.

Employment ,wages and productivity

7.24 The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
Wages	Rs. lacs	***	***	***	***
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Productivity per employee	MT	***	***	***	***

7.25 The Authority notes that the productivity of the domestic industry has declined with the decline in production. However, the Authority notes that the domestic industry is a multi-product company and hence the employment by the domestic industry and wages paid may not be a correct parameter to evaluate the injury in the instant matter.

Return on investments and Cash flow

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
ROI - GFA Basis	%	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(203)	(340)	(363)
ROI - NFA Basis	%	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(219)	(358)	(400)
Cash Flow	Rs. Lac	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(50)	(601)	(421)

7.26 The Authority notes that return on investment and cash flow situation of the domestic industry deteriorated significantly during the POI as compared to the base year. Both the parameters continued to remain negative throughout the injury period.

Inventories

7.27 The data relating to inventories shows as follows:-

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Average Inventories	MT	***	***	***	***

2313 GI/10-10

7.28 It is seen that average inventory has come down but it has been claimed by the domestic industry that it has declined as a direct result of the curtailment of the production by the domestic industry.

Dumping Margin

7.29 It is observed that the dumping margins in respect of each of the subject countries are significantly positive.

Growth

7.30 The Authority notes that while there has been a substantial growth in the import volumes of the subject goods from the subject countries; but the growth of domestic industry in terms of sales, production, and capacity utilization has been negative. The growth in cash flow, profits and return on investment has also been negative over the injury period.

Ability to raise funds

7.31 It is noted that despite significant demand of the subject goods in the Country, the domestic industry has not been able to enhance its production capacity due to continued adverse performance in respect of the product. Further, the applicant is suffering significant financial losses as a result of dumping of the subject goods from the subject countries and territory attracting the anti-dumping duty.

Conclusion on material injury

8. In view of the above, the Authority provisionally concludes that the dumped imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms as also in relation to production & consumption of the subject goods in India. The imports of the subject goods from the subject counties, as a whole, are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, the imports are causing significant price suppression as well. While, both the cost of production and the selling price increased, the increase in selling price has been significantly lower than the increase in the cost of production. The performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, domestic sales, capacity utilization, profits, return on investment, cash flow, productivity, which is significant and material. Thus, the Authority is of the view that the domestic industry has suffered material injury.

G. Causal Link

9. As per the AD Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive

practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It was examined whether these other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It was found that:-

a. Volume and Price of imports from third countries: - The Authority notes that imports from third countries are either at higher prices or their volume is *de-minimis*. Thus, imports from third countries could not have caused injury to the domestic industry.

b. Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption - It is noted that the demand of the subject goods has increased by 35.78% in the period of investigation as compared to the base year. There is also no indication of any change in the consumption pattern.

c. Trade Restrictive Practices of and Competition between the Foreign and Domestic producers: The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete amongst one another and at the same time compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed price of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

d. Development of Technology: No party has raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry. No information, in respect of any significant development in technology, is on record that could be the principal cause of injury to the domestic industry.

e. Export Performance: There are no exports of the subject goods. In any case, the Authority has considered profitability and other price parameters only in respect of domestic operations.

f. Productivity: It is noted that the productivity of the domestic industry has shown decline. While the domestic industry has argued that the decline in productivity was due to the decline in production triggered by dumping and such injury was not required to be segregated, the Authority examined whether the information relating to domestic industry would have shown injury, had productivity of the domestic industry been the same. For the purpose, the cost of production was adjusted downwards, considering the level of productivity as the same as the base year and profitability was recomputed thereafter. It was noted that the profitability, cash profits and return on investment would have still shown significant decline. It was thus

f. found that the decline in productivity has not significant impacted the profitability, cash profits and return on investments of the domestic industry.

9.1 The Authority notes that while listed known other factors do not show injury to the domestic industry, the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports.

a) Imports of the product under consideration have increased significantly. As a direct consequence thereof, the domestic industry has lost its market share.

b) The domestic industry has lost sales volumes due to the presence of the dumped imported subject goods in India at prices lower than their cost of production. Thus, the decline in sales volumes is a direct consequence of the dumped imports from the subject countries.

c) The imports, from the subject countries as a whole, are undercutting the prices of the domestic industry.

d) The imports are significantly suppressing the domestic prices. The domestic industry has been prevented from increasing its prices in line with the increase in its cost of production due to the presence of the low-priced imported goods.

e) The deterioration in profits and return on capital employed apparently are as a result of the dumped imports.

f) Due to the presence of dumped imports; the production, sales volumes & capacity utilisation of the domestic industry also declined.

g) Growth of the domestic industry has become negative in respect of a number of parameters.

9.2 Thus, the Authority is of the view that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports.

Magnitude of injury and injury margin

10. The Authority has determined non-injurious prices of subject goods for the domestic industry taking into account the cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports to determine the injury margin. The injury margins have been worked out as follows:-

Cooperating Exporter

		M/s Formosa Plastics	M/s. Kaneka Paste Polymers Sdn Bhd	M/s *Hanwha Chemical*	M/s LG Chem

		Corporation	through M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.	*Corporation*	Ltd.
NIP	Rs./MT	***	***	***	***
Landed Price	Rs./MT	***	***	***	***
Injury Margin	Rs./MT	***	***	***	***
Injury Margin (%)range	%	5-10%	20-25%	20-25%	15-20%

Non-Cooperating Exporter

		China PR	Japan	Korea	Malaysia	Russia	Taiwan	Thailand
NIP	Rs./MT	***	***	***	***	***	***	***
Landed Price	Rs./MT	***	***	***	***	***	***	***
Injury Margin	Rs./MT	***	***	***	***	***	***	***
Injury Margin (%)	%	5-10%	5-10%	35-40%	40-45%	25-30%	25-30%	5-10%

H. Conclusions:

11. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:

a. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below associated normal values, thus resulting in dumping of the subject goods.
b. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods.
c. The material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

I. Indian industry's interest & other issues

12. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate 'injury' caused to the domestic industry by the unfair trade practices of 'dumping' so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the consumers.

12.1 It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry. On the contrary, imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

J. Recommendations

13. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a preliminary investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having provisionally established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and 'injury' pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries in the form and manner described hereunder.

13.1 Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, anti-dumping duty as per amount specified in Col 8 of the table below is recommended to be imposed in the event of acceptance of these recommendations by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl. No	Heading / Sub heading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	China PR	China PR	Any	Any	110.96	MT	US $
2	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	China PR	Any country other than	Any	Any	110.96	MT	US $

				the subject countries					
3	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries	China PR	Any	Any	110.96	MT	US $
4.	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Japan	Japan	M/s Kaneka Corporation, Japan	M/s Mitsui & Co. Japan	111.63	MT	US $
5.	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Japan	Any country other than the subject, countries	Any other than Sl. No. 4		111.63	MT	US $
6.	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries	Japan	Any	Any	111.63	MT	US $
7.	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Malaysia	Malaysia	M/s Kaneka Paste Polymers Sdn. Bhd.	M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd, Malaysia	304.32	MT	US $
8.	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Malaysia	Any country other than the subject countries	Any other than Sl. 7		608.57	MT	US $
9.	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries	Malaysia	Any	Any	608.57	MT	US $
10	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Korea RP	Korea RP	M/s Hanwha Chemical Corporation	M/s Hanwha Chemical Corporation	89.18	MT	US $
11	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Korea RP	Korea RP	M/s LG Chem Ltd.	M/s LG Chem Ltd.	NIL		
12	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Korea RP	Any country other than the subject countries	Any other than Sl.No. 10&11		266.52	MT	US $

13	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries	Korea RP	Any	Any	266.52	MT	US $
14	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Taiwan	Taiwan	M/s Formosa Plastics Corporation	M/s Formosa Plastics Corporation	95.40	MT	US $
15	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Taiwan	Any country other than the subject countries	Any other than Sl.No. 14		401.35	MT	US $
16	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries	Taiwan	Any	Any	401.35	MT	US $
17	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Russia	Russia	Any	Any	284.03	MT	US $
18	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Russia	Any country other than the subject countries	Any	Any	284.03	MT	US $
19	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries	Russia	Any	Any	284.03	MT	US $
20	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Thailand	Thailand	Any	Any	125.18	MT	US $
21	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Thailand	Any country other than the subject countries	Any	Any	125.18	MT	US $
22	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries	Thailand	Any	Any	125.18	MT	US $

K. Further Procedure

14. The following procedure would be followed subsequent to notifying these preliminary findings: -

(a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
(b) Exporters, importers, the applicant and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the dispatch of the these Preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
(c) The Authority would hold a hearing to hear the views of various interested parties orally;
(d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
(e) The Authority would disclose essential facts as per the AD Rules before announcing its final findings.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.